

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णगढ़ की 143वीं
बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णगढ़ की 143वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 को अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक की देवाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, उत्तीर्णगढ़ की अध्यक्षता में संचन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:-

- डॉ. दीपक सिंहा, सदस्य, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
- श्री आर.वी. लिवारी, सदस्य सचिव, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेंट्सावार घार्डिकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेंट्स आवटन क्रमांक-1

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, उत्तीर्णगढ़ की 142वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 को कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, उत्तीर्णगढ़ की 142वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 को आवेदित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेंट्स आवटन क्रमांक-2

राज्य सतरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उत्तीर्णगढ़ की 450वीं एवं 451वीं बैठक क्रमशः दिनांक 09/02/2023 एवं 10/02/2023 की अनुसंधा को आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकारणों में निर्णय लिया जाना।

- मेसर्स ऑटेंबंद लाइन स्टोन माइन (प्रो.- श्री दिलीप जैन), छाप-ऑटेंबंद, तहसील-भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1622)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 204823 / 2021, दिनांक 20/03/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन क्रमशः दिनांक 26/03/2021 एवं 20/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाहित जानकारी क्रमशः दिनांक 13/12/2021 एवं 13/07/2022 की ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान छाप-ऑटेंबंद, तहसील-भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 22/1, कुल क्षेत्रफल-3.076 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्तरानन शामता-26,317.94 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 18 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिलीप जैन, प्रोप्राइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिति पाई गई:-

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति खंडकी विवरण—

i. पूर्व में चूना पत्थर खदान समांक 22 / 1, कुल होतफल—3.076 हेक्टेयर, क्षमता — 28,101.10 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिस स्तरीय पर्यावरण सम्बाधात् निर्धारण प्राप्तिकरण, जिला—बलीदावाजार—भाटापारा द्वारा दिनांक 10 / 01 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुसार—

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09 / 01 / 2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के खाते के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दीर्घान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 04 / 07 / 2022, 17 / 07 / 2022 एवं 28 / 10 / 2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। ताथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखाण मंडल, रायपुर में आवेदन दिनांक 30 / 09 / 2022 को किया जाना बताया गया है। अतः समिति का नत है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर अवया क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखाण मंडल, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार सुझावीपन नहीं किया गया है।

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 415/ख.लि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017–18	33,095
2018–19	31,730
2019–20	20,720
2020–21	20,330
2021–22	2,800

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा द्वारा जारी उपरोक्त प्रमाण पत्र अनुसार वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्खनन कमता – 28,101.1 टन प्रतिवर्ष से अधिक उत्खनन किया जाना पड़ा गया है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन संबंधी जानकारी विलीय वर्ष में होने के कारण पूर्त में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन कमता से अधिक प्रतिपादित हो रही है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी वर्षवार खनिज विभाग से प्राप्त कर इस संबंध में स्थिति रपट करते हुए जानकारी पुनः प्रस्तुत किया जाना बताया गया है।

2. ग्राम पंचायत का ऊनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ऑटेंबर का दिनांक 26/01/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र 10 वर्ष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में सन्मिलि का मत है कि प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। अतः उत्खनन एवं छात्र योगी स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना – क्षारी प्लान, इन्व्हायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्षारी बलीजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उष्ण संचालक (खनि द्राशासन), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1124/ख.लि./तीन-1/2016 बलीदाबाजार, दिनांक 05/10/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 415/ख.लि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 अनुसार आवेदित खदान से 800 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होम/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 415/ख.लि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होम जैसे बंदिर, मसिजार, मरछट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित होम स्थित नहीं हैं।
6. चूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री विलीप जैन के नाम पर है। लीज लौक 10 वर्षी अर्थात् दिनांक 26/04/2006 से 25/04/2016 तक की अवधि हेतु कैष थी। तत्पश्चात् लीज लौक 20 वर्षी

अधीक्षा दिनांक 25/04/2016 से 25/04/2006 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2010 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बन मञ्चलाधिकारी, रायपुर जनमण्डल, जिला-रायपुर के इलापन जनाम/जा.वि./रा/596 रायपुर, दिनांक 08/03/2006 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत शिखा गया है।
9. नहलपूर्ण संरचनाओं की दृशी – निकटतम आबादी ग्राम—ओटेबंद 2 कि.मी., स्फूल ग्राम—ओटेबंद 2 कि.मी. एवं असपाताल भाटापारा 23 कि.मी. की दृशी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राजमार्ग 17.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 2.2 कि.मी. दूर है। शावडा गुम्बई रेल लाईन 240 मीटर एवं रेल्वे कटेश्वर—निष्पत्ति 12 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में उत्तराञ्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पौरन्युठंड एवं पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र रिप्ट नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,16,263 टन, माईग्रेवल रिजर्व 2,18,229 टन एवं रिक्वरेबल रिजर्व 1,96,406 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,004.98 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी गेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकातम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी / ओलर बर्डन की गहराई 0.5 मीटर है तथा गुल मात्रा 7,316.41 वर्गमीटर है। बैंध की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ग्रामर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिन्हकार शिखा जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,553.88	षष्ठम	26,317.94
द्वितीय	28,101.10	सप्तम	16,320.46
तृतीय	21,302.35	अष्टम	16,304.36
चतुर्थ	20,783.82	नवम	11,726.81
पंचम	20,526.11	दशम	19,489.59

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 एक्यूटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरबेल के माध्यम से जी जाती है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल चाउपड़ बैंटर अधीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. गृहारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 450 नए गृहारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में गृहारोपण हेतु घीघों का रोपण, कॉलिंग, खाद एवं

सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए ५ बर्ची का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. उदान की ७.५ मीटर की ओरी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के बारे और ७.५ मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल ५,००४.९८ वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से ४१६.१४ वर्गमीटर क्षेत्र ५ मीटर की गहराई एवं ५४१.२५ वर्गमीटर क्षेत्र ४ मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित कारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित ७.५ मीटर ओरी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय रक्षारोपण की जरूरी का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विशद नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नौन कोल माईनिंग ब्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त फ्रांक VIII (c) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर ७.५ मीटर ओरी सेपटी जौन में रक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रस्तुत अनुमोदित कारी प्लान, इन्डस्ट्रीलैंड मैनेजमेंट प्लान एप्ल जारी कर्त्तव्यर प्लान के कॉन्सेप्टुअल प्लान एवं प्रोसेसिंग माईन कर्त्तव्यर प्लान में क्रांत क्षेत्र का क्षेत्रफल लीज की ७.५ मीटर ओरी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में परवर्पर ऑवरलैप (Overlap) कर दर्शाया गया है, जबकि अनुमोदित कारी प्लान के रिजर्व की गणना (Chapter 4) में ७.५ मीटर ओरी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) एवं क्रांत का क्षेत्रफल मिल-मिल दर्शाया गया है। समिति का मत है कि ७.५ मीटर ओरी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़कर, लीज क्षेत्र में क्रांत का क्षेत्रफल को प्रतिबंधित करते हुए रिजर्व की वास्तविक गणना कर संशोधित अनुमोदित कारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रत्यावित रखूल के प्राचार्य (Principals) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि सीईआर के तहत रक्षारोपण हेतु पीथी का रोपण, सुरक्षा हेतु फैसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए ५ बर्ची का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तहसमय सर्वसम्मति से नियमानुसार निर्णय लिया गया था—

१. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर अध्यक्ष कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संख्या नंबरल, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंधन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. विभाग वर्षी में किये गये उत्खनन की जानकारी वर्षावार समिक्षा विभाग से प्राप्त कर वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्खनन अमरा - 28,101.1 टन प्रतिवर्ष से अधिक उत्खनन किये जाने के संबंध में विभिन्न स्पष्ट करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन एवं क्रांत की स्थापना के संबंध में ग्राम वंचायत का अद्वातन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लौज क्षेत्र के बाहर बंदारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्बन्धाव हेतु किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. लौज क्षेत्र के बारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कृआरोपण हेतु पौधों का रोपण, फँसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण चाहित प्रस्तुत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रकूल के प्राचार्य (Principles) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. लौज क्षेत्र के बारी और 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़कर एवं लौज क्षेत्र में क्रांत के क्षेत्रफल को प्रतिबंधित करते हुए रिक्वेट की वास्तविक गणना एवं संशोधित अनुमोदित क्षारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. सीईआर के तहत कृआरोपण हेतु पौधों का रोपण, सुखा हेतु फँसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण चाहित प्रस्तुत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित रकूल के प्राचार्य (Principles) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित शारीरुक्तार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
9. कंट्रॉल ब्लास्टिंग किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. माईनिंग लौज क्षेत्र के अंदर साधन कृआरोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सारणार्डल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुभितिकता किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक हारा मिनरल्स कन्सेजन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत यात्पूर्ण प्रिलिस हारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. उत्तीर्णाद आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक हारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खादान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देखे जाए अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लकित नहीं है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंहरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके दिलदृश भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लिखित नहीं है।

15. माईन लीज क्षेत्र के घारों और 7.5 मीटर छोड़े सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के संपर्कस्थी उपायों (Pre-medical Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलायों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा तृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

16. प्रतिबंधित 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को जाति बहुघाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वाचित जानकारी/दस्तावेज सहित पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के द्वायन दिनांक 09/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(३) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिबंधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/02/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अनुनीदित माईनिंग प्लान में उत्पादन (हिमता विस्तार) में परिवर्तन किया गया है। अतः पुनः नये संशोधित माईनिंग प्लान के अनुसार आवेदन किया जाएगा। उक्त कारणों से प्रकरण को बापत लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई-आई-ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अपलोडन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को दर्तमान में ग्राम प्राचुर्य में यथावत् डि-लिस्ट / निरस्त विया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यारी ई-आई-ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाइडलाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

साथ ही प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मैसारी खादा बिक्री अर्थ करे कामकारी एवं हिक्स विभागी बिक्री प्लॉट (प्रौ.- श्री रामकृष्णपाल साहू), श्राम-खादा, तहसील-कैमुण्डपुर, ज़िला-कोरिया (सचिवालय का नम्रता क्रमांक 2136)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ लौजी/ एमआईएन/ 81577 /2022, दिनांक 20 /08 /2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 24 /08 /2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा घोषित जानकारी दिनांक 15 /09 /2022 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संबंधित बिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान श्राम-खादा, तहसील-कैमुण्डपुर, ज़िला-कोरिया रिष्ट खसरा क्रमांक 1214 एवं 1220, चुल बोरफल-1.8 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित बिट्टी उत्खनन क्षमता-1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05 / 12 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 438वीं बैठक दिनांक 08 / 12 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि सुपरिवर्ता नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06 / 12 / 2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना समव्य नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में सभ्य प्रदान करने हेतु अनुचेत दिया गया है।

समिति द्वारा ताल्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाहीं गई घोषित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03 / 02 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09 / 02 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामकृष्णपाल साहू, ओपरेटर हॉस्टिट उपरिषद भुए। समिति द्वारा नम्रता, प्रस्तुत जानकारी का अदलौकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण:-

L. पूर्व में बिट्टी उत्खनन खदान खसरा क्रमांक 1214 एवं 1220, चुल बोरफल-1.8 हेक्टेयर, क्षमता-1,500 घनमीटर (10,00,000 नग ईंट) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जिला सत्रीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राप्तिकरण, ज़िला-कोरिया द्वारा दिनांक 16 / 03 / 2017 को जारी की गई। यह स्थीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 15 / 03 / 2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन बंत्रालय, गई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुसार-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be

considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

एप्रिलोजना अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15 / 03 / 2023 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। सभिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त बार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार दूसारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), ज़िला—कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1487 / खनिज / च.प. / 2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 27 / 10 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विवर गवाँ में किये गये उत्थान की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्थान (नग)
2016	निरंक
2017	5,00,000
2018	5,70,000
2019	5,50,000
2020	5,00,000

सभिति का मत है कि दिनांक 01 / 01 / 2021 से अद्यतन सिथित तक किए गए उत्थान की वास्तविक गात्रा (मिट्टी उत्थान एवं इंट उत्थान) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. शाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्थान के संबंध में शाम पंचायत खाड़ा का दिनांक 22 / 08 / 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्थान खोजना – मॉडिफाईड गात्री पतान एलांग विश्व गवाई बलोजर पतान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर ज़िला—कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2037 / खनिज / खलि.2 / 2022 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 10 / 02 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खादन – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला—कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1489 / खनिज / च.प. / 2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 27 / 10 / 2021 के अनुसार आवेदित खादन से 500 मीटर की भौमिकता 3 खदानों, क्षेत्रफल 6.21 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला—कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1488 / खनिज / च.प. / 2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 27 / 10 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद,

मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनोकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र भिर्मित नहीं हैं।

6. लीज का विवरण – लीज श्री रामरूपाल साहू के नाम पर है। लीज ढीड़ 15 वर्षी अर्थात् दिनांक 09/01/2002 से 09/01/2017 तक की अवधि हेतु कैष थी। उत्खनन लीज ढीड़ 15 वर्षी अर्थात् दिनांक 09/01/2017 से 09/01/2032 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. मू–स्वामित्व – श्रूमि श्री रामरूपाल साहू एवं रामपदारथ साहू के नाम पर है। उत्खनन हेतु श्रूमि स्वामियों का साहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, जिला-कोरिया-बैकुण्ठपुर के ज्ञापन फॉर्मफ./ना.चि./५। बैकुण्ठपुर दिनांक 04/01/2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 5.3 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-खाड़ा 1 कि.मी., वकूल ग्राम-खाड़ा 1 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 700 मीटर एवं राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है। बेज नदी 7 कि.मी. नहर 50 मीटर दूर है।
11. पारिसिवर्तिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक छाता 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, कौन्द्रीय प्रदूषण विवरण बोर्ड छाता घोषित किटिकली पौल्युटेल लरिया, पारिसिवर्तिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 31,500 घनमीटर, माइनरेल रिजर्व 24,920 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 23,674 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर ढीढ़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 848 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बैच की ऊंचाई 1 मीटर एवं ढीढ़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भद्रा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फलाई ऐशा का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 12 टन वोटले की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण निवारण हेतु जल का छिन्हनाव किया जाता है। अनुमोदित व्यासी प्लान अनुसार वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	ईट उत्पादन (नग)
प्रथम	1,000	10,00,000
द्वितीय	1,000	10,00,000
तृतीय	1,000	10,00,000
चतुर्थ	1,000	10,00,000
पंचम	1,000	10,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्पादन (घनमीटर)	हेट उत्पादन (नग)
बष्टन	1,000	10,00,000
सप्तम	1,000	10,00,000
अष्टम	1,000	10,00,000
नवम	1,000	10,00,000
दशम	1,000	10,00,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.04 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति द्वारा पंचायत द्वारा टैकरों के भाग्यम से की जाती है। यान्म पंचायत का अनावाली प्रभाग पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. यूक्तारोपण कार्य – बर्तमान में लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 85 नग यूक्तारोपण किया गया है एवं उक्त के अतिरिक्त 241 नग यूक्तारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
15. लीज क्षेत्र को चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 648 घनमीटर क्षेत्र है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कैमेनल काईल में कुछ भाग उत्थनित प्रतिपादित हो रहा है। प्रतिवर्ष 1 मीटर धीरी सीमा पट्टी में उत्थनन किया जाना पर्यावरणीय स्थीरता की जाती का उल्लङ्घन है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रियद्वय निमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
16. भानगीय एन.जी.टी., प्रिसिपल बंद, नई दिल्ली द्वारा सत्येन पाठ्येय विलद्वय मारत सारकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निमानुसार निर्णयित किया गया है:-
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किए हुए उपरोक्त सर्वसम्मति से निमानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खानिज शाखा), जिला-कोरिया के इनाम क्रमांक 1489/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानों क्षेत्रफल 6.21 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (प्राम-खाड़ा) का रक्का 1.8 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्राम-खाड़ा) को शिलाकर कुल रक्का 8.01 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीरत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान “धीरी” की मानी गयी।
2. यूर्ब में चारी पर्यावरणीय स्थीरति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, मारत सारकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मानाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. माईन लीज क्षेत्र को चारों ओर 1 मीटर लौड़े सेप्टी जौन के कुछ भाग में योग्य उत्थनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के

संबंध में तथा लौज क्षेत्र के अंदर भाईनिंग क्रियाकलायी के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों द्वारा सुखारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने वायत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रजीती मवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 1 मीटर और सीमा पद्धति में ऊर्ध्व उत्तरान्त क्रिया जाना पाये जाने पर जीव उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण की क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण गृहल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विभाग विभास उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी१' कोटेगही का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकल्पित स्टैफल टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पौर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट पौर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरमेंट पलीयरेस अप्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित शंकी १(ए) का स्टैफल टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल भाईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर को साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iv. Project proponent shall submit the revised project cost breakup.
 - v. Project proponent shall submit production detail (in cubic meter and Number of Bricks) from 01/01/2021 to till date from the mining department.
 - vi. Project proponent shall submit the consent letter from the land owners.
 - vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
 - xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines

- located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
 - xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 1 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of green belt in 1 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
 - xvi. Project proponent shall complete the restoration of 1 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
 - xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
 - xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 1 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
 - xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा ऐक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20 / 03 / 2023 को संघन 143वीं ऐक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसरी का अदलीकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशासा को स्वीकार करते हुये टर्मी औफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) मिन अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:-

"Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River."

साथ ही यह गी निर्णय लिया गया कि:-



(i) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर बीड़े सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये उत्तरानन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर नाईनिंग कियाकलायों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा सूखारोपण आदि के लिये कम्युनिटी उपायों वाले संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा स्थानिकर्म, इंद्रावती भवन, नदा रायपुर अटल नगर, ज़िला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 1 मीटर बीड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्तरानन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा स्थानिकर्म को पत्र लेखा किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर बीड़े सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये उत्तरानन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कारण बंडल, नदा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेखा किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंडल, नदा रायपुर अटल नगर से नियमों को हेतु पत्र लेखा किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टम्बा ऑफ ऐफरेन्स (टी.ओ.आर.) (टोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा स्थानिकर्म, इंद्रावती भवन, नदा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कारण बंडल, नदा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंडल, नदा रायपुर अटल नगर को पत्र लेखा किया जाए।

3. मेसर्स रामनगर डिक्स अर्थकाले बदारी माईन एच्ज किसा विमनी डिक्स च्यांट (प्रो.- श्री गणेश कुमार जायसवाल), शाम-रामनगर, तहसील व ज़िला-सूरजपुर (भौमिकालय का नम्रता छमांक 2112)

ऑनलाईन आवेदन – प्रधोकल नगर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 285545 / 2022, दिनांक 26 / 07 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्तरानन (गौण स्थानिज) खदान एवं फिल्स विमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान शाम-रामनगर, तहसील व ज़िला-सूरजपुर स्थित स्तराता छमांक 1259 / 2 एवं 1259 / 3, कुल क्षेत्रफल – 0.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्तरानन क्षमता – 840.75 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 4,51,544 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के लाप्पन दिनांक 04 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

ैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 43उमी ैठक दिनांक 17 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु वी रामचन्द्र जायसवाल, अधिकारी प्रतिभिति उपस्थित हुए। सभिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी दिवारण:-

- I. पूर्व में निर्दी उत्खनन सूचान सूचना क्रमांक 1259/2 एवं 1259/3, कुल होमफल-०.९ हेक्टेयर, कमता-८४०.७५ घनमीटर (हेट उत्पादन कमता ४,५१,५५० नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सलाय पर्यावरण समाचारत निर्धारित प्राधिकरण, जिला-सूरजपुर द्वारा दिनांक १९/१२/२०१६ को जारी की गई। वह स्वीकृति जारी दिनांक से ३ वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में वी गई कार्यवाही वी जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत होत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रपुर में आवेदन दिनांक १५/११/२०२२ को किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर एवं होत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अमिकापुर में आवेदन दिनांक १५/११/२०२२ को किया जाना बताया गया है। अतः सभिति का मत है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत होत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर अध्यक्ष होत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अमिकापुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- III. निर्धारित शर्तानुसार १८० नवा लक्षारोपण किया गया है।
- IV. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक १८०५/खनिज/२०२२ सूरजपुर, दिनांक २२/०६/२०२२ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिग्गत वर्षी में किये गये उत्खनन वी जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
2017	५४६	४,५०,०००
2018	३८६	३,२०,०००
2019	५०९	४,२०,०००

- V. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक १८०५/खनिज/२०२२ सूरजपुर, दिनांक २२/०६/२०२२ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक १९/१२/२०१९ से स्वीकृत होत्र अंतर्गत उत्खनन कार्य पूर्णतः बंद है।

2. शाम पंचायत का अनापति प्रभाग पत्र - उत्खनन के संबंध में शाम पंचायत शामनगर का दिनांक २४/०१/२०१२ का अनापति प्रभाग पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन खोजना - वी लाल, इन्डियारोड मेनेजमेंट लाल एण्ड वी लाल वी लोजर लाल प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—सूरजपुर के झापन क्रमांक 1806 / खनिज / 2022 सूरजपुर, दिनांक 22 / 06 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.4 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—सूरजपुर के झापन क्रमांक 1806 / खनिज / 2022 सूरजपुर, दिनांक 22 / 06 / 2022 हाता जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, बाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मसिजद, गुरुद्वारा, मरम्बद, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं नहीं है।
6. लीज का विवरण – लीज श्री गणेश कुमार जायसबाल के नाम पर है। लीज लीड 03 वर्षी अर्थात् दिनांक 18 / 09 / 2013 से 17 / 09 / 2016 तक थी। सत्यसवाल लीज लीड 27 वर्षी अर्थात् दिनांक 18 / 09 / 2016 से 17 / 09 / 2043 तक विस्तारित की गई है।
7. मू–स्थानित्य – खसरा क्रमांक 1259 / 2 श्री उमाशंकर जायसबाल व श्री रामचन्द्र जायसबाल एवं खसरा क्रमांक 1259 / 3 श्री रामचन्द्र जायसबाल व श्री गणेश कुमार जायसबाल के नाम पर है। उल्लेखन हेतु मूलि स्थानियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बननप्लानिकारी, दक्षिण उत्तरपूजा बननप्लानिकारी, अन्धिकामपुर के झापन क्रमांक / तक अधि. / 3138 अन्धिकामपुर, दिनांक 06 / 08 / 2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र बन क्षेत्र श्री सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है।
10. बहुतपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम—रामनगर 600 मीटर, कक्षल ग्राम—रामपुर 2.8 कि.मी. एवं अस्पताल विशामपुर 5.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 कि.मी. एवं राजमार्ग 1945 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 2.3 कि.मी. दूर है।
11. पारिविधिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परिवोला जा प्रस्तावक हाता 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्धान, अमदारम्प, कोन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हाता घोषित किटिकली पौल्युटेड एसिया, पारिविधिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपर्क एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 14,282 घनमीटर, माइनेबल रिजर्व 9,187 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 8,268 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 12,680 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 8,828 घनमीटर होते हैं। लीज की 1 मीटर ऊँची सीमा पट्टी (उल्लेखन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 350.01 वर्गमीटर है। औपन कास्ट मैन्युअल विलि से उल्लेखन किया जाता है। उल्लेखन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बैंध की ऊँचाई 1 मीटर एवं भीड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर

में लोक ईंट निर्माण हेतु भरता (PCBTK) स्वायित्र है, जिसकी किक्स की कंचाई 33 मीटर है। जिंग-जैग (Zig-Zag) पद्धति प्रस्तावित किया जाना प्रस्तावित है। इंट निर्माण हेतु गिट्टी के साथ 25 प्रतिशत पलाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संचालित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का चिक्काव किया जाता है। अनुमोदित कार्राई प्लान अनुसार वर्षावार प्रस्तावित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्थानन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)	वर्ष	प्रस्तावित उत्थानन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	840.51	4,51,413	पहल	840.75	4,51,544
द्वितीय	840.33	4,51,316	सप्तम	840.75	4,51,544
तृतीय	834.66	4,48,271	अष्टम	840.75	4,51,544
चतुर्थ	840.75	4,51,544	नवम	840.75	4,51,544
पंचम	840.75	4,51,544	दशम	708.56	3,80,547

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.44 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरबेल के माध्यम से किया जाता है। इस बावधान सेन्ट्रल एडज़न्ड बौठर अधीक्षिती की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य - लीज लोक की सीमा में चाहे और 1 मीटर की पट्टी में 180 नग वृक्षारोपण किया गया है।
15. कौशिकी पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक हारा समिति के समक्ष प्रिक्सार द्वारा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17	2%	0.34	Following activities at Neary, Govt. Primary School, Village-Adrapara-Ramnagar	
			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			UV water filter	0.215
			AMC	
			Running Water Arrangement in Toilet	
			Water tank	
			Pipeline & Installation	0.150
			Total	0.365

16. सीईआर के तहत प्रस्तावित सहूल की प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से प्रयुक्ति डॉट उत्पादन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल डिफेक्शन की स्वारक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. माइनिंग लीज कोर्ट के अंदर सुधन दूषारोपण किये जाने एवं सोपित पीढ़ी का सरकारी रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमाकांच करकार खदान की सीमा होते में नियमानुसार सांभ स्वापित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. आवेदित खदान में विद्यमान शिवनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर जिन-जिन पहुंचिते हैं प्रतिस्थापित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रील, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विलम्ब इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विलम्ब भारत सरकार, परिवर्तन, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का ज्ञा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

सामिति द्वारा उत्तमव सर्वसम्मति से मिर्य लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दीशित किया जाए।

सदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/01/2023 के परिणाम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/01/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) सामिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

सामिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धियाँ पाई गईं हैं—

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1848, दिनांक 10/01/2023 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त के संबंध में प्रतिवेदन अप्राप्ता है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/11/2022 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय, चन्दा रायपुर अटल नगर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखाय मंडल को प्रेषित अनुरोध पत्र की प्रति प्रेषित की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ /एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के राखें में सार्वतं पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. सी.ई.आर. एवं बृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यावरण हेतु कि—क्षीय समिति (प्रीपर्टाइटर/प्रतिनिधि, शाम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखाय मंडल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं बृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित कि—क्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. माननीय एन.जी.टी., शिक्षिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सर्वेंद पाण्डेय विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विभार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्भय किया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1806/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 22/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.4 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (शाम—रामनगर) का क्षेत्रफल 0.9 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (शाम—रामनगर) को खिलाकर कुल क्षेत्रफल 3.3 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी—२ क्षेत्री की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विभार सर्वसम्मति से आवेदक — सेसर्स रामनगर डिक्स अर्थकर्ते यारी माईन एन्ड फिक्स विमानी डिक्स प्लॉट (प्रो.— श्री गणेश कुमार जायसवाल) को शाम—रामनगर, तहसील व जिला—सूरजपुर के खसरा क्रमांक 1259/2 एवं 1259/3 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—0.9 हेक्टेयर, क्षमता—840.75 घनमीटर (इट उत्पादन इकाई 4,51,544 नग) प्रीतर्व हेतु सार्वतं पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशासा की गई।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नदा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की रूट के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सार्वतं अनुशासा की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20 / 03 / 2023 तो संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15 / 11 / 2022 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु एकीकृत होत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को लेख किया गया था। साथ ही यह भी पाया गया कि एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा भी पत्र दिनांक 10 / 01 / 2023 के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक को पूर्व प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन बाबत प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु एकीकृत होत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को लेख किया गया था। उक्त के परिषेक्य में एकीकृत होत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस ऐंबेंशन डिनांक 08 / 06 / 2022 के अनुसार “In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same.” का उल्लेख है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मण्डल को पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विभास उपरांत सुर्योग्मति से निर्णय लिया गया—

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक — मैसर्स रामनगर ड्रिक्स बर्थवले क्यारी माईन एण्ड फिल्स फिमनी ड्रिक्स प्लाट (प्रो.— श्री गणेश शुभार जायसवाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिकता कार्यवाही की जाएगी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मण्डल से प्राप्त होने तक शर्तों का पालन पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुचित किया जाए।

4. मैसर्स जमुनाही शेष माईन (ए-२) (प्रो.— श्री शुभेन्दु सिंह), ग्राम—जमुनाही, तहसील—लोरमी, जिला—गुरुग्रामी (संविकालय का नस्ती क्रमांक 2176) औनलाइन आवेदन — प्रयोगल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 406011 / 2022, दिनांक 03 / 11 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खणिज) है। यह खदान ग्राम—जमुनाही, तहसील—लोरमी, जिला—गुरुग्रामी स्थित खसरा क्रमांक 62 / 1, कुल होत्रफल—3.7 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मनिकाही नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन कामता — 34,010 घनमीटर प्रतिपर्व है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09 / 12 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15 / 12 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गुरेन्द्र सिंह, प्रोप्राइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अकलीकन एवं परीक्षण करने पर निम्न मिथ्यति पाई गई-

1. यहाँ वे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — ऐसा उत्क्षण के संबंध में नगर पंचायत बघनीभावना का दिनांक 31 / 07 / 2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्हाकित/सीमांकित — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकित/सीमांकित कर दी गयी है।
4. उत्क्षण योजना — माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खप्रशा.), जिला—जिलासपुर के झापन क्र. 1630 / खनि / रेत / उत्क्षण प्लान / 2022, दिनांक 14 / 09 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—मुंगेली के झापन क्रमांक 596 / खनि—03 / 2022 मुंगेली, दिनांक 18 / 08 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निम्नक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—मुंगेली के झापन क्रमांक 596 / खनि—03 / 2022 मुंगेली, दिनांक 18 / 08 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, बकुल, अस्पताल, नदियाँ, गुरुद्वारा, मरपट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दित नहीं हैं।
7. एलओआई का विवरण — एलओआई श्री गुरेन्द्र सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—मुंगेली के झापन क्रमांक 01 / खनि—03 / 2022 मुंगेली, दिनांक 01 / 04 / 2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु कैष थी। समिति का नत है कि एलओआई, वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महात्मपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवादी ग्राम—खुरिया 130 मीटर, स्कूल ग्राम—जमुनाही 1.6 कि.मी. एवं अस्पताल लौसगी 6.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। नहर 700 मीटर, नाला 340 मीटर, तालाब 140 मीटर, पुल 540 मीटर, एनीकट 4.25 कि.मी. एवं खुरिया बांध 9.7 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजनीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेंड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आयोदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 95 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 1,184 मीटर, न्यूनतम 1,086 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 41 मीटर, न्यूनतम 23 मीटर दर्शाई गई है। खदान की पूरी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 44 मीटर, न्यूनतम 4 मीटर एवं परिवहनी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम शून्य मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आयोदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2.19 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग स्थल रेत की मात्रा – 35,800 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई ज्ञानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 मद्दे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का नापन कर, खनिज विभाग से प्रभागित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औरत गहराई 2.187 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पर्यामा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक हारा बताया गया कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अविष्ट रेत की मोटाई 3 मीटर से अधिक है। समिति का मत है कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अविष्ट रेत की मोटाई संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रभागित कराकर प्रस्तुत जाना आवश्यक है।
13. खदान कोत्र में रेत सतह के लेवल्स – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्डुओं पर दिनांक 18/04/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रभागीकरण उपसंत कोटोरापस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. गैर माईनिंग कोत्र – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 95 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे से लगी हुई है। ये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ते हुये 1,200 कर्मीटर गैर माईनिंग कोत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 3.88 हेक्टेयर कोत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त कल उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक हारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्मानितार से चर्चा उपसंत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.96	2%	0.379	Following activities at nearby, Village-Ghanaghath	

			Plantation with fencing in periphery of village pond area	0.40
			Total	0.40

१६. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 25 नग पीढ़ी को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में 5 नग पीढ़ी तालाब के किनारे पर है। बृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन एवं कटहल) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पीढ़ी के लिए राशि 2,000 रुपये, फैशिंग के लिए राशि 3,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 16,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 22,500 रुपये तथा आगामी वर्ष में कुल राशि 17,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथायोग्य स्थान (खासरा छानाक ८४, क्षेत्रफल १.५६६ हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

१. एल.ओ.आई. की केवल वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
२. प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की भौटिक संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित कराकर प्रस्तुत किया जाए। उपरोक्त वाचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तक अगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक ०१/०२/२०२३ के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक ०६/०२/२०२३ को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की ४५०वीं बैठक दिनांक ०९/०२/२०२३:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधियां पाई गई—

१. परियोजना प्रस्तावक वो संबालनालय, भौगोलिक तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पू. ज्ञापन छानाक/८०४/खानि ०२/रेत/(rule 7)/न.क्र.३४/१९९६ नवा राष्ट्रपुर अटल नगर, दिनांक ०२/०२/२०२३ द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसके अनुसार “पर्यावरण समिति प्राप्त कर उत्थानन घटा प्रदान करने हेतु आशय पत्र के छ: नाह की अतिरिक्त समयावधि (अर्थात् दिनांक २९/०३/२०२३ तक) प्रदान किया जाता है।” का उल्लेख है।
२. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्थल पर ५ गड्ढे (Acre) खोदकर उपरी वास्तविक गड्ढाई का नापन कर पंचनामा दिनांक ०९/०२/२०२३ का प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार गड्ढों में पानी आने की उम्बर से आगे खुदाई नहीं की जा सकी तथा बैठ की गड्ढाई ३.५ मीटर होने की संभावना होने का लेखा किया गया है।
३. समिति का गत है कि सी.ई.आर. एवं बृक्षारोपण कार्य के मौनिटरिंग एवं वर्धीकरण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोप्राइटर/प्रतिनिधि, शाम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन बोर्ड के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर.

एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित डि-प्लॉय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्थानन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तुताप्रित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की ओरपी के हैं। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्थानन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्थानन पौजना में उत्थानन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संकेती अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मनियारी नदी छोटी नदी है तथा इसने यष्टिकाल में सामान्यतः 1 मीटर घटरहाई से अधिक रेत का पुनर्भराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा प्रियार्थी उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. अधिवित खदान (याम-जमुनाही) का एक्षा 3.7 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 600 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी जायी।
2. वृक्षारोपण कार्य — वृक्षारोपण (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर कुल 740 नम फीट) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 7,400 रुपये, पौसिंग के लिए राशि 92,500 रुपये, खाद के लिए राशि 37,000 रुपये, सिंचाई तथा एख-रखाच के लिए राशि 1,75,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,11,900 रुपये प्रथम वर्ष में एवं द्वितीय वर्ष कुल राशि 2,12,000 रुपये हेतु घटकवार बद्ध का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आमानी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्थानन का नदी, नदीसाल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्थानन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन जाटा —
 - i. रेत उत्थानन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रिल बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्व कर, उसके आंकड़े यष्टिकाल एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. पोर्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्थानन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं प्रिल बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के माहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्व पूर्व निर्धारित प्रिल बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (नई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं प्रिल बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का नापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित प्रिल बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का नापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोर्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त

2023, 2024, 2025 तक अभियांत्र रूप से एसईआईएए.. घरीसगड को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विभार्ता उपरान्त सर्वसम्मति से नेसर्ट जमुनाही सेष्ट माईन (ए-2) (प्रो.- श्री शुभेन्दु सिंह), लालसरा इनाक 62/1, ग्राम-जमुनाही, तहसील-लौरमी, जिला-मुगीली, कुल लीज क्षेत्रफल 3.7 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 12,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.58 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत संत्खणन अधिकाराम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 34,010 पनवीटर प्रतिवर्ष रेत संत्खणन हेतु पर्यावरणीय स्थीरता, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुसांसा की नहीं। रेत की खुदाई शमिको द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी बहनों का प्रवेश प्रतिश्वित रहेगा। लीज क्षेत्र में लिखते रेत खुदाई गढ़ (Excavation pits) से लौहिंग व्हाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
6. सस्टेनेबल सेष्ट माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्मेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स एंड सेष्ट माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
7. ईन्फोर्मेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स एंड सेष्ट माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खणन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरीका प्रकाश पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संघन 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना कानू. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में उल्लेखित तथ्य निम्न है-

"(i) पैरा 9 में, स्थान परियोजनाओं या गतिविधियों के बाबले में वैयता स्थान पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिए जाएंगे।"

प्राधिकरण द्वारा विचार विभार्ता उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना कानू. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्थीकृति की वैयता मान्य होगी।
2. समिति की अनुशासा को स्थीकार करते हुये नेसर्ट जमुनाही सेष्ट माईन (ए-2) (प्रो.- श्री शुभेन्दु सिंह) को पर्यावरणीय स्थीरता, स्थान पट्टे के निष्पादन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु निम्न अंतिरिक्त शर्तों के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया।

"नदी तट पर किये जाने वाले दृक्षारोपण एवं सी.ई.आर के तहत किये जाने वाले दृक्षारोपण की जानकारी जिग्टोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अधीकारिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की रिप्टि ने विविवत् कार्यकारी की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सार्वत पर्यावरणीय स्थीरता जारी किया जाए।

5. मैसारी नोहमटा ढोलोमाईट स्टोन कंपारी (प्रौ.- श्री नोहन लाल आदवाल), ग्राम-नोहमटा, तहसील-पर्यारिया, ज़िला-मुंगेली (संधिवालय का नक्सी क्रमांक 2054) ऑनलाइन आवेदन - प्रयोगल नम्बर - एसडब्ल्यूए / सीजी / एमआईएन / 275396 / 2022, दिनांक 28 / 05 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित ढोलोमाईट (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नोहमटा, तहसील-पर्यारिया, ज़िला-मुंगेली स्थित खदान क्रमांक 692, 745, 746 / 1, 746 / 2, 747, 752, 753, 754, 759, 760, 940, 953 / 1, 953 / 2, 954, 958 / 2, 962, 932 / 1, 932 / 2, 932 / 3, 937 / 1, 937 / 2, 938, 976, 977, 986 / 2, 930 एवं 931, कुल क्षेत्रफल-4.97 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-94.335 टन प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा हेतुक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27 / 07 / 2022 को संपन्न 125वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नक्सी / दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी, छत्तीसगढ़ की 405वीं बैठक दिनांक 28 / 04 / 2022 में किये गये अनुशंसा को आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन की प्राप्तिकरण के आधार पर प्रस्तुतीकरण हेतु सभ्य प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विभारी उपसंहार सर्वेत्समाहि से उक्त प्रकरण को एसईएसी, छत्तीसगढ़ की विभागानुसार आयोजित बैठक में विभागानुसार रखे जाने हेतु एसईएसी, छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

उदागनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 18 / 08 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 24 / 08 / 2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण कुमार शुक्ला, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धति पाई गई:-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संकेती विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नोहमटा का दिनांक 19 / 12 / 2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - क्षारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं क्षारी जलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), ज़िला-जिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1374 / खानि / ढोलोमाईट / च.यो. / 2020 जिलासपुर, दिनांक 20 / 10 / 2020 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 बीटर की परियोजना में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खणिज कार्यालय), ज़िला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 801 / खालि-03 / 2020 मुंगेली, दिनांक 29 / 10 / 2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के भीतर अपस्थित अन्य ढोलोमाईट खदानों की संख्या निरूपित है।

5. 200 घीटर की परिवर्ति में लिखत सार्वजनिक होत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला—मुगेली के ज्ञापन क्रमांक 800/खालि—03/2020 मुगेली, दिनांक 29/10/2020 द्वारा जारी प्रभाग पत्र अनुसार उक्त स्थान से 200 घीटर की परिवर्ति में कोई भी सार्वजनिक होत्र यैसे भवित्र, भस्त्रिय, मरणट, बाष, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिवर्धित होत्र निर्भित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — पूर्व में एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला—मुगेली के ज्ञापन क्रमांक/816/खालि 02/न.क्र. 02/2020—21 मुगेली दिनांक 29/07/2020 द्वारा जारी की गई थी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला—मुगेली के ज्ञापन क्रमांक 1094/खालि 02/न.क्र. 02/2020—21, मुगेली दिनांक 27/01/2022 द्वारा जारी की गई, जो 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 27/07/2022) तक वैध थी। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि समाप्त हो गई है।
7. प्रस्तुतीकरण की दौरान परिवोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु खनिज विभाग के समझ आवेदन किया गया है। आवेदन को स्वीकार करते हुए माननीय कलेक्टर, जिला—मुगेली द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु अनुमान स पत्र क्रमांक 481/खालि 02/न.क्र. 02/2022—23 मुगेली, दिनांक 20/07/2022 को संधारक, जीमिती तथा खनिकर्म, नवा रायपुर झटल नगर को प्रेषित किया गया है। माननीय कलेक्टर, जिला—मुगेली द्वारा आशय पत्र में वैधता वृद्धि सुनिश्चित कर दी गई है। अतः समिति से अनुरोध है कि मेरे प्रकरण में प्रस्तुतीकरण के साथ जमा कराए गए रूपरेखाकरण को मानव करते हुए मेरे प्रकरण में आशय पत्र की वैधता के संदर्भ में सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति दी जाए। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. भू—स्वामित्व — भूमि खसरा क्रमांक 692, 745, 746/1 श्रीमती रमा अश्रवाल, खसरा क्रमांक 746/2, 760 श्री नेतराम, खसरा क्रमांक 747 श्रीमती श्रेता अश्रवाल, खसरा क्रमांक 759, 940 श्री गोविंद लाल अश्रवाल, खसरा क्रमांक 953/2 श्रीमती रमा अश्रवाल, खसरा क्रमांक 783, 968/2, 976, 977, 986/2 श्री मनीष कुमार अश्रवाल एंड संस, खसरा क्रमांक 954 श्री नोहन अश्रवाल एंड संस, खसरा क्रमांक 930, 931 श्रीतला मिनरल्स पार्टनर मनीष कुमार अश्रवाल, खसरा क्रमांक 962 नर्मदा मिनरल्स पार्टनर नोहन लाल अश्रवाल, के नाम पर है। उत्तरानन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। शेष खसरा क्रमांक 752, 764, 932/1, 932/2, 932/3, 937/1, 937/2, एवं 938 आवेदक को नाम पर है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनापत्ति प्रभाग पत्र — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मुगेली, वनमण्डल मुगेली के ज्ञापन क्र./मा.वि./868/2021 मुगेली, दिनांक 13/04/2021 से जारी अनापत्ति प्रभाग पत्र अनुसार आवेदित होत्र वन होत्र की सीमा से 51 कि.मी. की दूरी पर है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवादी ग्राम—गोहगढ़ा 356 घीटर, स्कूल ग्राम—गोहगढ़ा 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम—सारगांव 2 कि.मी. की दूरी पर लिखत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 430 घीटर एवं राज्यमार्ग 1555 कि.मी. दूर है।

तालाब 320 मीटर, गहर 4.87 कि.मी. एवं नाला 1.4 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.2 कि.मी. दूर है।

12. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावका द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्धान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण योद्धे द्वारा घोषित क्रिटिकली पौल्पुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
13. खनन संबंधी एवं खनन का विवरण – जियोडोजिकल रिजर्व 33,72,775 टन, माईनेशल रिजर्व 9,87,774 टन एवं रिकवरेशल रिजर्व 9,19,386 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 13,527 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी गेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्राई 0.6 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,716 घनमीटर है, जिसमें सी 4,743 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाहरछूटी) क्षेत्र में बृक्षात्मेपण के लिए उपयोग तथा शेष 1,973 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर खालारा कमांक 958 एवं 987 रुपये के भूमि में संरक्षित कर रखा जाएगा। बैच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आमु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में छातर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से डिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में बायो प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	89,893.75	एस्टम	93,052.5
द्वितीय	90,416.25	सप्तम	93,765
तृतीय	91,021.88	अष्टम	93,515.63
चतुर्थ	91,485	नवम	89,632.5
पंचम	92,268.75	दशम	94,335

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.77 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अपॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. बृक्षात्मेपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,703 नग बृक्षात्मेपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 27,030 रुपये, फॉरिंग के लिए राशि 2,25,400 रुपये, खाद के लिए राशि 67,575 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 50,000 रुपये, रस्ता-रखाव आदि के लिए राशि 25,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,95,005 रुपये प्रत्यम वर्ष हेतु एवं रखा-रखाव हेतु कुल राशि 1,42,575 रुपये आगामी बार बढ़ी हेतु घटकावार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. समिति के संझान में यह सत्य आया कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। इस संबंध में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि खनन के दौरान 30 मीटर की गहराई के बाद ग्राउन्ड वॉटर टैबल आने पर खनिज किभाग एवं संबंधित विभाग से अनुमति

उपरांत ही उत्थान कार्य किया जाए। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा “उच्च अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला—मुंगेली द्वारा आशी पत्र अनुसार प्रस्तावित लीज क्षेत्र में खुदाई के दौरान 50 मीटर से अधिक वहाई में घानी की उपलब्धता है।” की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

17. खाद्य की 7.5 मीटर की घौसी सीमा पट्टी में उत्थानन – आवेदित लीज क्षेत्र के कुछ भाग में एवं इसके आसपास जूँझी हुई भूमि पर कुल चार पल्टर खाद्यन कमरा क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर 0.880 हेक्टेयर एवं 0.849 हेक्टेयर को टेक्सरेशी पर्सिट जिला स्तरीय पर्यावरण समाप्ति प्राप्तिकरण, जिला—मुंगेली के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति (वर्ष 2017 से वर्ष 2019) आशी की गई थी, जिसके कारण नूगल अर्ध से देखे जाने पर आवेदित लीज क्षेत्र में तीन गढ़ों दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अतः आवेदित लीज क्षेत्र में विद्युतन गढ़ों में किये गए खनन कार्य का वर्तमान यै आवेदक (श्री मोहनलाल अच्छावाल) से विस्ती भी प्रकार का संबंध नहीं है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर के कुछ भाग सीमा प्राप्त होने के पूर्व से ही उत्थानित है। जिसका उल्लेख अनुसोदित माइनिंग फ्लान में है। वर्तमान में उनके द्वारा उत्थानित क्षेत्र का मिट्टी से पुनर्भवाव कर बूँदारीफन करते हुये फीटोडाफस सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के तात्परा विस्तार से वर्चा उपरांत निष्पानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at Village-Mohibhatta	
124.5	2%	2.49	Plantation with fencing around TALAB & 5 year AMC	2.748
			Total	2.748

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम—मोहनटा के तालाब (खासग त्रिभाँक 461/1 एवं 462) की चारों तरफ आम एवं जामुन के विभिन्न प्रजातियों के रोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 47 नग पीथों के लिए राशि 9,400 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 9,400 रुपये, खाद के लिए राशि 1,175 रुपये, सिंघाई के लिए राशि 20,000 रुपये सथा रख—रखाव आदि के लिए राशि 30,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 69,875 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,04,800 रुपये हेतु घटकावार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

19. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भेदभावित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भवाव हेतु किये जाने साथ ही निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / ज्ञापन के दौरान निरीक्षण कराए जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. कंट्रोल ब्लास्टर्स का कार्य विस्कोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पश्चिमिय डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिपकाव की व्यवस्था किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. भाइनिंग लीज होर के अंदर सभन मृत्युपण किये जाने एवं रोपित धीरों का सरकाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रक्षानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नाला, नदी, तालाब, जल निकायों के संरक्षण एवं संरक्षण किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाहुच्छ्री पिल्लासे द्वारा सीमावान का कार्य सुनिश्चित किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तात्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

- एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आकाश का बचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश की अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आकाश का नोटरी से सत्यापिता शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, कन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 की अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वाधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तात्समय एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/10/2022 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/01/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) रायिति की 450वीं वैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाई गई—

- एल.ओ.आई. श्री मोहन लाल अश्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खणि शास्त्रा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन छानांक 513/खणि 02/नक्स. /02/2020-21, दिनांक 29/07/2020 द्वारा जारी की गई थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि वाले संचालक, भौमिकी तथा खणिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण छानांक 76/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 25/01/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि

छत्तीसगढ़ गौण खानिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उत्थानन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला मुंगेली को प्रत्यावर्तीत किया जाता है।" होना चाहिया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उसके विलम्ब इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लघित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उसके विलम्ब भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लघित नहीं है।
4. समिति का बत है कि सीईआर कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कृषारोपण कार्य के समिटिंग एवं पर्यावरण हेतु डि-पर्सीय समिति (प्रोफराईटर/प्रतिनिधि, शाम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संभाग मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कृषारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित डि-पर्सीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
5. माननीय एन.जी.टी., विनियम बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विलम्ब भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 166 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में मुक्त रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विवार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कल्यालय कलेक्टर (खानिज शास्त्र), जिला—मुंगेली के ज्ञापन द्वारा दिनांक 801/खलि—03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य डोलोमाईट खदानों की संख्या निरक्त है। आवेदित खदान (शाम—मोहम्मदठा) का रकमा 4.97 हेक्टेयर है। खदान की सीमा दो 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी—2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विवार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक — मेसर्स मोहम्मदठा डोलोमाईट स्टोन कार्पोरी (प्रो.— श्री मोहन लाल अश्वाल), शाम—मोहम्मदठा, तहसील—पर्खरिया, जिला—मुंगेली के उससा क्रमांक 692, 745, 746/1, 746/2, 747, 752, 753, 754, 759, 760, 940, 953/1, 953/2, 954, 958/2, 962, 932/1, 932/2, 932/3, 937/1, 937/2, 938, 976, 977, 986/2, 930 एवं 931, में स्थित चूना पत्थर (गोण खानिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—4.97 हेक्टेयर,

क्षमता — 94,335 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संघन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा उपरोक्तानुसार विचार विनाश संबंधी से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक — मेसर्स मौहमदउल्लामीसोमाईट स्टोन कंपनी (प्री.— श्री मोहन लाल अग्रवाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक वो पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

6. मेसर्स मौहमद माईन (प्री.— श्री गणेश राम श्रीवास), याम—गोरखा, तहसील—कटपोता, जिला—कोरखा (संचिवालन का नस्ती क्रमांक 1801)
ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 227201 / 2021, दिनांक 07 / 09 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित रेत खदान (गोप खनिज) है। यह खदान याम—गोरखा, तहसील—कटपोता, जिला—कोरखा स्थित खासा क्रमांक 854 / 1, गूल शेत्रफल — 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हसदो नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता — 68,682 फॅट्टीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक वो एसईएसी—छत्तीसगढ़ के आधन दिनांक 18 / 01 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकी का विवरण —

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 27 / 01 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रुध्म मुहरी गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धित पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हांकड़ी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- नगर पालिक निगम का अनापलित प्रमाण पत्र — ऐसे उत्खनन के संबंध में नगर पालिक निगम कोरखा का दिनांक 01 / 12 / 2020 का अनापलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- विनाकित/सीमांकित — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विनाकित/सीमांकित कर दी गयी है।
- उत्खनन योजना — माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ऊपर संचालक (खनि प्रशासन), जिला—कोरखा के आधन क्रमांक 4004 / खलि—८ / 2020 कोरखा, दिनांक 03 / 08 / 2021 द्वारा अनुबोधित है।
- 500 ग्रीटर की परियोजना में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—कोरखा के आधन क्रमांक 3980 / खलि—०१ / रेत नी.(गोरखा २) / न.क्र. 03 / 2021 कोरखा, दिनांक 03 / 08 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 ग्रीटर की भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. 300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खण्ड शास्त्रा), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 3979/खलि-01/रेत नी.(गेरवा 2)/न.क्र.03/2021 कोरबा, दिनांक 03/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 300 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, अस्पताल, एनीकट एवं याल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एलओआई का विवरण – एलओआई भी नगोश राम श्रीकास के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खण्ड शास्त्रा), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 2119 खलि-01/रेत नी. (गेरवा 2)/न.क्र.03/2021 कोरबा, दिनांक 24/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध भी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि एलओआई की वैधता तृप्ति हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रतिमार्घीन है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमण्डलाधिकारी, कटघोड़ा बनमण्डल कटघोड़ा, जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2021/5506 कटघोड़ा, दिनांक 25/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम बन क्षेत्र की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम—गेरवा 1 कि.मी. रकूल ग्राम—गेरवा 3 कि.मी. एवं अस्पताल कोरबा 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 कि.मी. राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उदान, अभयारण्य, कोन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या प्रौद्योगिकीय संवेदनशील क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के पाट की औड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की औड़ाई – अधिकतम 326 मीटर, न्यूनतम 323 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 279 मीटर, न्यूनतम 272 मीटर एवं खनन स्थल की औड़ाई – अधिकतम 110 मीटर, न्यूनतम 107 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 93 मीटर, न्यूनतम 23 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की औड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
13. खदान स्थल पर रेत की गोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित मार्फतिग प्लान अनुसार खदान में मार्फतेवल रेत की मात्रा – 58.582 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की गोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गढ़डे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, लग्निज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की संपत्ति गहराई 3.19 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु वंचनामा प्रस्तुत किया गया है।



14. खदान क्षेत्र में रेत संग्रह के लेवल्स – रेत उत्थनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के बारी सरक में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर मुणा 25 मीटर के ग्रिड चिन्हों पर दिनांक 09/06/2021 को रेत संग्रह के कर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, कुन्हे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। समिति का मत है कि आरएस. रार्ट रिपोर्ट सहित ग्रिड नेप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के सम्मानित संग्रह उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Gerva ghat & Anganbadli	
68.27	2%	1.36	Rain Water Harvesting System	0.40
			Running Water Facility for Toilets	0.30
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC	0.70
			Total	1.40

समिति का मत है कि रेत बौंटर हार्डिंग व्यवस्था के स्थान पर सर्वार्थिता पंप संग्राहक याई के माध्यम से सुर्किंग बौंटर एवं पेय जल हेतु अलग-अलग टंकी स्थापित किया जाएगा।

16. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्थल के प्राचार्य (Principal) का सहनिति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. गैर मार्डिनिंग क्षेत्र – नदी के पाट की छोड़ाई अधिकतम 326 मीटर, न्यूनतम 323 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 93 मीटर, न्यूनतम 23 मीटर है। नये दिला निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की छोड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। मार्डिनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की छोड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्थनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 709 वर्गमीटर गैर मार्डिनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्थनन का कार्य खदान के अवधीन 2,929 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

18. रेत उत्थनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा में खनि निरीक्षक से हस्ताक्षरित है, परंतु खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समिति

का यत है कि उक्त के संबंध में खानि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान (खासराशार विवरण सहित) में बृक्षारोपण हेतु पीछी, फॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रस्ते-रस्ताव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त स्थानों पर बृक्षारोपण किये जाने हेतु सकौम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

सामिति द्वारा तत्काल लार्डसमिति से निम्ननुसार विर्य लिया गया था:-

1. एस.ओ.आई. की ईच्छा वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. आरएल. लैंड रिपोर्ट सहित गिरफ्त में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. ऐस उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा में खानि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. सीईआर के तहत ऐन बॉटर हार्डिंग ब्यावर्त्य के स्थान पर सबगर्सिंबल पंचलगाकर पाईप के मात्रायम से रेटिंग बॉटर एवं पेन जल हेतु अलग-अलग टंकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान एवं सीईआर के तहत बृक्षारोपण हेतु पीछी का रोपण, सुखा हेतु फॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रस्ते-रस्ताव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथायोग्य स्थान पर बृक्षारोपण किये जाने हेतु सकौम प्राधिकारी से अनुमति की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. उपरीका वाहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तकतः आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 08/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) सामिति की 40वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

सामिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाइ गई:-

1. एस.ओ.आई. श्री गणेश राम श्रीवासा के नाम पर है, जो संचालनालय, भीमिकी तथा खणिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 624/खानि 02/रेत(Rule7)/नक.38/1998 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 14/02/2022 द्वारा बैठक हेतु जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (अर्थात् दिनांक 23/08/2022) हेतु वैध है।
2. ऐस उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में ऐस सतह के लेवल्स (Levels) लेकर गिरफ्त में प्रदर्शित कर सर्वेयर (Surveyor) के हस्ताक्षर एवं सील सहित सर्व रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

3. ऐत उत्तरानन के लिए प्रस्तावित स्वल्प पर ऐत की वास्तविक गहराई हेतु यहनामा में समि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार ऐत की उपलब्ध औसत गहराई 3.19 शीटर है।
4. सीईआर के तहत ऐन वॉटर हार्डिंग व्यवस्था के स्थान पर सावधार्हित संघ लगाकर पाइप के माध्यम से समिन वॉटर एवं पेय जल हेतु असम-अलग हंडकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस बाबत प्रस्तावित स्वल्प के प्राचार्य (Principal) ने साहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
68.27	2%	1.36	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Genva ghat & Anganbadi	
			Running Water Facility for Toilets	0.50
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC In School	0.45
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC in Anganbadi	0.45
			Total	1.40

5. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथावौग्य स्थान में 1,500 नग युक्तारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 75,000 रुपये, समिन के लिए राशि 1,92,000 रुपये, खाद, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 1,92,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 4,59,000 रुपये 5 वर्ष हेतु पटकावार एवं समयकार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा युक्तारोपण (खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर या यथावौग्य स्थान) किये जाने हेतु यार्ड क्रमांक-53 नगर निगम कोरका के खसरा क्रमांक 12/1, क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर में पार्वद से अनुमति की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का भत है कि नगर निगम आयुक्त की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्त्वान्वय सर्वेत्समर्हति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से वार्ड क्रमांक-53 नगर निगम कोरका के खसरा क्रमांक 12/1, क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर में युक्तारोपण किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त/ जोन कमिशनर की अनुमति प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/04/2022 के परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 09/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(म) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अखलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिं पाई गई:-

1. यार्ड क्रमांक—53 नगर निगम कोरबा के खसरा क्रमांक 12/1, क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेकर में कृषारोपण किये जाने हेतु आमुकत, नगर पालिक निगम, कोरबा का दिनांक 02/09/2022 का अनापूर्ति प्रभापण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र की वैधता दिनांक 23/08/2022 को समाप्त हो गई है। अतः समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/11/2022 के परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/11/2022 के परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 456वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अखलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिं पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नका नयपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 80/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 30/01/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार “छत्तीसगढ़ गोण खनिज साधारण ऐत (उत्थनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 7(4) के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण कीकृति प्राप्ति करने एवं उत्थनन पट्टा नीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समवायकि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला कोरबा को प्रत्यावर्तित किया जाता है।” होना चाहिया गया है।
2. समिति का मत है कि सीई.आर. एवं कृषारोपण कार्य के नॉनिटरिंग एवं चर्चेशापण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोप्राइटर/प्रतिनिधि, याम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण नियमित के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीई.आर. एवं कृषारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने की उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से संतुष्टपूर्ति कराया जाना आवश्यक है।
3. ऐत उत्थनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लौहर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लौहर और उत्थनन भारी गाहन की सेवी के हैं। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्थनन की अनुमति मानी है। अनुमोदित उत्थनन योजना में उत्थनन किए जाने वाले क्षेत्र की चार्टिंग ऐत

पुनर्जनन संबंधी अध्ययन तथा एवं उत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। हसदी नदी बड़ी नदी है तथा इसमें बर्बादील में सामान्यतः 1.5 बीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्जनन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम—गोरक्षा) का रकमा 3 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 800 बीटर की परिधि में स्थीरत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. दृष्टारोपण कार्य — दृष्टारोपण (नगर विभाग द्वारा करने के समस्त क्रमांक 12/1, रकमा 0.343 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 1,500 नग घीरे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 75,000 रुपये, पौरिंग के लिए राशि 192,000 रुपये, खाद के लिए राशि 12,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 36,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,15,000 रुपये प्रथम वर्ष में एवं आगामी 4 वर्ष कुल राशि 1,44,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावकर रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्जनन (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्थानन का नदी, नदीतल, स्थानीय बनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर ऐत उत्थानन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीज क्षेत्र की सतह का वैसालाईन छाटा —
 - i. रेत उत्थानन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रिड विन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के लेवल (Levels) का सर्व जरूर उत्थानन के आंकड़े एवं लाइनस्ट्रीम प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. पोस्ट—मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्थानन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही प्रिड विन्दुओं में नाईरिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं लाइनस्ट्रीम में 100 बीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 बीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल (Levels) का सर्व पूर्व निर्धारित प्रिड विन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही प्रिड विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का भाष्यन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित प्रिड विन्दुओं पर ऐत सतह के लेवल्स (Levels) के भाष्यन यम कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट—मानसून के आंकड़े विशम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री—मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिकार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. घट्सीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्सी गेरया—2 सेण्ड माईन (प्री—श्री गणेश राम श्रीवास्त), खसाना क्रमांक 854/1, ग्राम—गोरक्षा, राहसील—कटधोर, जिला—कोरक्षा, कुल लीज क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर में से गैर माईरिंग क्षेत्र 709 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 2,929 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 80 ग्रातिशाल क्षेत्रफल में ही ऐत उत्थानन अधिकतम 1 बीटर की गहराई तक सीमित रखा हुए कुल 29,290 वर्गमीटर प्रतिवर्ष ऐत उत्थानन हेतु पर्यावरणीय स्थीरता,

प्यारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशासा की गई। रेत की खुदाई अभियोग द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी बाहनी का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग चार्ट तक रेत का परिवहन ट्रैकटर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सरटेनेबल सैण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्मेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स पॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
7. इन्फोर्मेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स पॉर सैण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिक्रिया क्षेत्र में उत्थानन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संघन 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अबलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में उल्लेखित तथ्य निम्न है:-

“(i) पैरा 9 में, खनन परियोजनाओं या नियिकियों के मामले में वैधता खनन पद्धति के निष्पादन की तारीख से दिए जाएंगे।”

प्राधिकरण द्वारा विचार विभार्ता उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता मान्य होगी।
2. समिति की अनुशासा को रखीकार करते हुये मेसर्स गेर्ला-2 सैण्ड माईन (प्रो.- श्री गणेश शाम श्रीवास्त) को पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पद्धति के निष्पादन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया।

“नदी तट पर किये जाने वाले बृक्षारोपण एवं सी.ई.आर के उड्डा किये जाने वाले बृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्थकार्यक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।”

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विविवत कर्तव्यवाही की जाएगी।

3. आवेदित प्रकरण हेतु बृक्षारोपण (नगर निगम कोरबा के खासरा क्रमांक 12/1, रक्का 0.243 हेवलेयर क्षेत्र में कुल 1,500 नव पीढ़ी) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रारम्भिक 2 वर्षों के उपरांत बृक्षारोपण के स्थ-स्थाव हेतु व्यव राशि को नगर निगम कोरबा में जमा किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

7. मेसार्स सर्वोत्तम स्टील प्राईवेट लिमिटेड, सिलसरा इण्डस्ट्रीजल एरिया फैज-III, ताहसील व ज़िला—रायपुर (संचिवालय का नक्शा क्रमांक 2173)

ऑनलाइन आवेदन — प्रयोगल नम्बर — एसआईए/ सीजी / आईएनडी1/404789/ 2022, दिनांक 03/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिलसरा इण्डस्ट्रीजल एरिया फैज-III, ताहसील व ज़िला—रायपुर लॉट नं. 100(पार्ट) एवं 101(पार्ट), कुल क्षेत्रफल—4. 841 एकड़ में हि-रोल रस्टील प्रोसेक्ट्स, स्टील एण्ड पाईप थू इण्डस्ट्रीजल फैजे संचित (हॉट चार्ज) क्षमता—58,500 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विभिन्नोग रूपए 4.5 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) सामिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु वी दिलीप छुगानी, डीयरेक्टर उपसिंचित हुए। सामिति द्वारा नक्शा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. जल एवं वायु सम्पत्ति —

- होचीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मंडल, रायपुर द्वारा गेल्वेनाइजिंग पाईप एप्ल लैंप पाईप, इलेक्ट्रोक पोल एप्ल ट्रान्सफोर्मर द्वावर क्षमता—72,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति नवीगीकरण दिनांक 13/06/2022 को यारी की गई। जो कि विनांक 31/07/2023 तक वैध है।

2. समीपस्थ लिखत क्रियाकलापों संबंधी जानकारी —

- निकटतम आबादी ग्राम—संकरा 2.50 कि.मी. एवं शाहर रायपुर 13.70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बैंकुण्ठ 3.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानन्द विमानपत्तनम, माना, रायपुर 24 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.65 कि.मी. दूर है। खालन नदी 3 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय उद्धान, अभयारण्य, घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिकेंद्रित किया है।

3. थू-स्वामित्व — यह शासकीय भूमि है। सी.एस.आई.सी.सी. द्वारा मेसार्स सर्वोत्तम स्टील प्राईवेट लिमिटेड के नाम से स्थित लॉट नं. 100(पार्ट) एवं 101(पार्ट), कुल क्षेत्रफल—4.841 एकड़, सिलसरा इण्डस्ट्रीजल एरिया फैज-III, ताहसील व ज़िला—रायपुर को दिनांक 30/10/2021 को तीस लौह संचादित की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 23/12/2108 तक है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट —

S. No.	Particular	Existing Area (m ²)	Total Area After Expansion (m ²)	Total Area (%)
1.	Induction Furnace Area	-	2,155.96	10.99

2.	Rolling Mill Area	-	1,569.0	8.00
3.	Pipe Mill Area	2,340.0	2,340.0	11.93
4.	Galvanizing Area	2,080.0	2,080.0	10.61
5.	Finished Good Area	882	882.0	4.5
6.	Raw Material Yard	980.25	980.25	5.00
7.	Parking Area	500.0	500.0	2.59
8.	Road Area	582	582.0	2.96
9.	Green Belt Area	5,880	7,841.96	40.01
10.	Open Area	6355.75	669.83	3.41
Total		19,600	19,600	100

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Existing Activities	Activities After Expansion
1.	Production	Galvanizing Pipe & Black Pipe, Electric Pole and Transmission Tower- 72,000 TPA	No Change
2.		-	Re-rolled Products through Induction Furnace With CCM (Hot Charge)-59,500 TPA
3.	Working Hours	12	18

6. टॉ-मटेरियल :-

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
For Induction Furnace				
1.	Sponge Iron	48,500		
2.	Scrap	15,000	Open Market	By Road
3.	Alloys	660		
For Re-rolled Product				
1.	Billets	59,500	-	-
For MS Pipe				
2.	Strips	59,500	In House	-
3.		12,500	Open Market	By Road

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – यहाँमान में गेल्वेनाईजिंग इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु चूम एवं स्ट्रेकशन शिल्टिंग एवं स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची विमानी स्थापित है। प्रस्तावित वायंवालाप हेतु इच्छवशन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. ब्रेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची विमानी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इच्छवशन फर्नेस से पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरार्जन 30 मिलीमीटर/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्तरार्जन वात्रा 0.558 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। पयुजिटिव डस्ट उत्तरार्जन नियंत्रण हेतु जल छिरकाव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था —

S. No.	Waste	Existing Quantity (TPA)	After Proposed Quantity (TPA)	Method of Disposal
1.	Slag	-	2,450	Sold to Slag Processing Unit
2.	Used Oil	100 Lt/year	180 Lt/year	Sold to Authorized Vendors
3.	Kitchen Waste	4.5 kg/day	10 kg/day	Bio Composting
4.	Mill Scale	-	600	Reuse in process
Solid & Hazardous Waste Generation				
1.	Zinc fines or dust	36 MTPA	Sold to Authorized recyclers	
2.	Spent acid & alkali	2 KLPA	After treatment to be used within the premises / to be sold to authorized recyclers	
3.	Chemical sludge from waste water treatment	2 TPA	Co-processing in cement kiln / Dispose in the CTSDF	

9. प्रक्रिया के दीर्घान उत्पन्न ठोस अपशिष्ट (मिल स्केल एवं कटिंग) की स्वयं की हकाई में प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जाएगा। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा संपर्क पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. सीधेज ट्रीटमेंट प्लांट से जनित रसायन का अपवहन खाद के रूप में स्वयं की हकाई के द्वारा पुनः कर दिया जाएगा।
11. जल प्रबंधन व्यवस्था —

- जल संग्रह एवं स्रोत — वर्तमान में परियोजना हेतु पुल १ घनमीटर जल प्रतिदिन (कुलिंग हेतु ३ घनमीटर प्रतिदिन, ड्रेट सप्लाई हेतु २ घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु २ घनमीटर प्रतिदिन, श्रीन बेल्ट हेतु २ घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल ३७ घनमीटर जल प्रतिदिन (कुलिंग हेतु १८ घनमीटर प्रतिदिन, ड्रेट सप्लाई हेतु ४ घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु ७ घनमीटर प्रतिदिन, श्रीन बेल्ट हेतु ४ घनमीटर प्रतिदिन एवं जी.आई. के लिए ६ घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के द्वारा जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से किया जाना प्रस्तावित है।
- भू—जल संबंधन — परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राहण काटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जौन में आता है। जिसके अनुसार—
 (अ) बहुवर्षीय एवं मध्यम उच्चोग्नि वो कम से कम ५० प्रतिशत दूषित जल का पुनर्वापन एवं पुनरउपयोग किया जाना है।
 (ब) ग्राहण काटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा ऐनवाटर हार्डिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू—जल निकासे जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड बाटर थोर्ड हारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्धोग की ऐनबाटर हार्डस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगी। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। बर्तमान में औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु 8 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाइजेशन सिस्टम) स्थापित है। उपचारित जल को रस्त संप्रेषण के उपयोग किया जाता है। बर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सौक पीट एवं सेटिंग टैक का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की नाप 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु एचबीबीआर तकनीक उपचारित सीकेज ट्रीटमेंट प्लाट क्षमता 6 घनमीटर प्रतिदिन की रक्षापना प्रस्तावित है। शून्य निःसारण की नियमित रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत भी रखी जाएगी।
- ऐन बौटर हार्डस्टिंग व्यवस्था – उद्धोग परिसर में वर्षा जल का युल रनओफ 13,137 घनमीटर है। बर्तमान में ऐन बौटर हार्डस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पीट (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) क्षमता का निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ऐन बौटर हार्डस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज पीट (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित ऐन बौटर हार्डस्टिंग व्यवस्था परिसर के पूर्ण रनओफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें जागान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. विद्युत आपूर्ति स्रोत – बर्तमान में वर्षा जल का युल रनओफ 13,137 घनमीटर है। बर्तमान में वर्षा जल का युल रनओफ 13,137 घनमीटर है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 9.5 नेगावीट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छल्लीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। ईकाइयक व्यवस्था हेतु 250 कॉ.वी.ए. क्षमता का 2 नग डी.जी. सेट एकोस्टिंग इंजलोजर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर की विमली स्थापित है।

13. बृक्षारोपण संरक्षी जानकारी – बर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 4,590 वर्गमीटर क्षेत्र में 1,150 नग पीछे सोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 1,370 वर्गमीटर क्षेत्र में 810 नग पीछे सोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार परिसर के आरोग्यकारी हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 6,560 वर्गमीटर (33.40 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,960 नग बृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। बृक्षारोपण हेतु (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम एवं जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 810 नग पीछों के लिए राशि 56,700 रुपये, खाद के लिए राशि 24,300 रुपये तथा सिंचाई एवं रख-खाच आदि के लिए राशि 1,61,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,42,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु तथा 4,78,400 रुपये राशि आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत लेप्ट एरिया स्टेटमेंट में बृक्षारोपण के लिए क्षमता में 5,680 वर्गमीटर एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 1,961.96 वर्गमीटर क्षेत्र, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 7,641.96 वर्गमीटर (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र तथा प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत बृक्षारोपण संरक्षी प्रस्ताव

में परिसर के घारी तरफ हरित परिटका के लिकास हेतु बत्तमान में 4,590 वर्गमीटर एवं प्रस्तावित कार्यकालाप के तहत 1,970 वर्गमीटर हेतु, इस प्रकार कुल होतफल 6,560 वर्गमीटर (33.40 प्रतिशत) हेतु में दृश्यारोपण प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में समिति का भत है कि उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. कौपिशिट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
Following activities at Nearby, Govt. Higher Secondary School Village-Siltara				
450	1%	4.5	Rain Water Harvesting in nearby School	1.60
			Construction of Toilets for Students	4.05
			Plantation around the boundary in near by pond	6.60
			Total	12.25

16. सीईआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. सीईआर के अंतर्गत तालाब के किनारे में दृश्यारोपण हेतु (नीम, पीपल, आम, बांसुंज, कदम एवं जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पीढ़ी के लिए राशि 22,000 रुपये, फेसिंग के लिए राशि 50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई एवं रखा-रखाव आदि के लिए राशि 1,31,000 रुपये, इस प्रकार प्रधान वर्ष में कुल राशि 2,06,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,54,000 रुपये हेतु घटकावर व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का भत है कि सीईआर के अंतर्गत तालाब के किनारे में कम से कम 260 नग दृश्यारोपण (कटहल, आम एवं जामुन) किये जाने हेतु पीढ़ी, फेसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रखा-रखाव के लिए 5 वर्षों (50 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकावर व्यव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित एवं ज्ञाम पंचायत के सहमति उपरोक्त यथायोग्य स्थान (खसरावार एवं होतफल सडित) हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विलक्ष इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विलक्ष भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवाया परियोजना

मंत्रालय की अधिसूचना क्रमा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत बोहे
उत्तराधिकार का प्रकारण लिखित नहीं है।

समिति द्वारा तात्पर्य संबंधित सुनिश्चित निर्णय लिया गया था—

1. वृक्षारोपण संबंधी प्रस्ताव में परिसर के घारों तरफ छरित पट्टिका के विकास हेतु उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तात्पर्य के क्रम से क्रम 250 नग वृक्षारोपण (फटहल, आम एवं जामुन) किये जाने हेतु पीछों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षी (90 प्रतिशत जीवन दर के अन्तार पर) का घटकावार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही डाम पंचायत के सहमति उपरांत व्यायामी रखान (खासरावाह एवं क्षेत्रफल सहित) हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. परिसर के अंदर संघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीछों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्जीवन नीति के तहत स्थानीय लोगों को व्योग्यतानुसार रीजनार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए। उपरोक्त वाइट जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने संपर्क आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तथानुसार एस.डॉ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अकलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. प्रस्तुत लेखन एविया स्टेटमेंट अनुसार वृक्षारोपण के लिए वर्तमान में 5,880 वर्गमीटर एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 1,961.96 वर्गमीटर होते, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 7,841.96 वर्गमीटर (40.01 प्रतिशत) होते में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तात्पर्य के किनारे में वृक्षारोपण हेतु (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम एवं जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 250 नग वृक्षों के लिए राशि 30,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 75,000 रुपये, खाद के लिए राशि 7,500 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 75,000 रुपये एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 82,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,69,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,12,000 रुपये हेतु घटकावार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. परिसर के अंदर संघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीछों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।



4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय स्त्रीयों को योग्यतानुसार रोजगार दिये जाने हेतु ग्राम्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विनाशी उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स सर्वोत्तम स्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, जिलतारा इण्डस्ट्रीयल एरिया फैज़—II, तहसील व जिला—रायपुर लिंगता प्लाट नं. 100(पाटी) एवं 101(पाटी), कुल क्षेत्रफल—4.841 एकड़ में रि—लील स्टील प्रोडक्ट्स, स्ट्रीज़ प्राइवेट ब्यू इण्डस्ट्रीशन फैसल किया तीसीएम (हॉट चार्ज) क्षमता—50,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति सही गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संघन 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अबलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि सीईआर के अंतर्गत तालाब के किनारे में वृक्षारोपण हेतु जाम पंचायत बहुदा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सधिक ग्राम पंचायत के सील एवं हस्ताक्षर नहीं हैं एवं यथायोग्य स्थान (छासराबार एवं क्षेत्रफल सहित) का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विनाशी उपरांत सर्वसम्मति से नियमानुसार निर्णय लिया गया—

1. समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुये आवेदक — मेसर्स सर्वोत्तम स्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, जिलतारा इण्डस्ट्रीयल एरिया फैज़—II, तहसील व जिला—रायपुर को निम्न अधिसिक्त सार्त के अंतीम पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया—

"Project proponent shall ensure proper plantation wherever completed. To ensure gap plantations at all appropriate places near the work site and vicinity such as approach road, boundary etc."

साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की विधति में विविवत् कर्तव्याधी वर्ती जाएगी।

2. सीईआर के अंतर्गत तालाब के किनारे में वृक्षारोपण हेतु जाम पंचायत (सरपंच एवं सधिक के सील एवं हस्ताक्षर सहित) के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (छासराबार एवं क्षेत्रफल सहित) हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज़ पूर्ण होने की विधति में ही परियोजना प्रस्तावक को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स बघरा सोम्प्त माईन (ए) (प्रौ.— श्री सुमेन लिंग), ग्राम—बघरा, तहसील—लोरमी, जिला—मुगीली (सधिकालय का नस्ती क्रमांक 2175)

ऑनलाइन आवेदन — प्रयोजन नम्बर— एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 404927 /2022, दिनांक 03/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित ऐत खदान (गोल खनिज) है। यह खदान ग्राम—बघरा, तहसील—लोरमी, जिला—मुगीली स्थित खसरा क्रमांक 290, कुल क्षेत्रफल—1.263 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन नियाशी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—9,786 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15 / 12 / 2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुमेन्द्र सिंह, प्रोपर्टर्इटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धियाँ पाई गईः-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्थीकृति जारी नहीं की गई है।
2. शाम पंचायत का अनापॉलिंग प्रमाण पत्र — ऐत उत्थनन के संबंध में शाम पंचायत बघनीभावर का दिनांक 31 / 07 / 2017 का अनापॉलिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्हाकित / सीमांकित — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार वह खदान विन्हाकित / सीमांकित कर दी गई है।
4. उत्थनन योजना — माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला—जिलासपुर के ज्ञापन नं. 1562 / खनि / रेता / उत्थनन प्लान / 2022 जिलासपुर, दिनांक 07 / 09 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—मुगेली के ज्ञापन नमांक 595 / खनि—03 / 2022 मुगेली, दिनांक 18 / 08 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की सांख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—मुगेली के ज्ञापन नमांक 595 / खनि—03 / 2022 मुगेली, दिनांक 18 / 08 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
7. एलओआई का विवरण — एलओआई श्री सुमेन्द्र सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—मुगेली के ज्ञापन नमांक 01 / खनि—03 / 2022 मुगेली, दिनांक 01 / 04 / 2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु बैध थी। समिति का मत है कि एलओआई की वैधता तृदि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. नाहरपुरी संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवादी शाम—बघनीभंवर 300 मीटर, स्कूल प्राच—बघर्त 1.60 कि.मी. एवं अस्पताल शाम—लौली 7.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25.30 कि.मी. एवं सञ्ज्यमार्ग 6.6 कि.मी. दूर है। नाला 10 मीटर, नहर 1.15 कि.मी., पुल 4 कि.मी., बांध 2.60 कि.मी., एनीकट 2.6 कि.मी. एवं रालाब 430 मीटर दूर हैं।
10. पारिस्थितिकीय / जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण निवन्धन और द्वारा घोषित क्लिटिकली पॉल्यूटेंड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

11. खनन स्थल पर नदी के पाट की घोड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की घोड़ाई – अधिकतम 45 मीटर, न्यूनतम 24 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 625 मीटर, न्यूनतम 509 मीटर एवं खनन स्थल की घोड़ाई – अधिकतम 32 मीटर, न्यूनतम 16 मीटर दर्शाई गई है। खदान की पूर्वी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 12 मीटर, न्यूनतम शून्य मीटर एवं पश्चिमी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 15 मीटर, न्यूनतम शून्य मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की घोड़ाई तक 10 प्रतिशत होना चाहिए (जो भी अधिक हो)।

12. खदान स्थल पर रेत की भौटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2.38 मीटर तथा रेत खदान की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुग्रहित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेशल रेत की मात्रा – 9,766 चौमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर बर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की भौटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.375 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित स्थल पर बर्तमान ने बैड रॉक (Bed Rock) के क्षय अवशिष्ट रेत की भौटाई 3 मीटर से अधिक है। समिति का मत है कि प्रस्तावित स्थल पर बर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के क्षय अवशिष्ट रेत की भौटाई संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करकर प्रस्तुत जाना आवश्यक है।

13. खदान की लेवल्स में रेत सतह के लेवल्स – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर तुषा 25 मीटर के लिए दिनांक 18/04/2022 को रेत सतह के बर्तमान लेवल्स (Levels) लेवल उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत कोटीप्राप्त सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. गैर माईनिंग कीज़ – नदी के पाट की घोड़ाई अधिकतम 45 मीटर, न्यूनतम 24 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे से लगी हुई है। यह दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की घोड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर को छोड़ते हुये 2.350 बर्गमीटर कीज़ को गैर माईनिंग कीज़ रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवधीन 1.028 हेक्टेयर कीज़ में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्बन्ध प्रस्ताव से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.65	2%	0.253	Following activities at nearby, Village-Ghanaghath	

		Plantation with fencing in periphery of village pond area	0.292
		Total	0.292

16. सीईआर के अंतर्गत तालाब के होकरल अनुसार कुल 20 नग पौधों को दीपण किया जा सकता है, वर्तमान में 5 नग पौधे तालाब के किनारे पर हैं। बृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन एवं कटहल) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 15 नग पौधों को लिए राशि 1,500 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 2,250 रुपये, खाद के लिए राशि 750 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,500 रुपये तथा आगामी वर्ष में कुल राशि 12,750 रुपये हेतु घटकवार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक छारा यथावौग्य स्थान (खासरा क्रमांक 64, होकरल 1,566 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्त्वावधि सर्वसम्मति से निभानुसार विर्य लिया गया था—

1. एलओआई की वैधता दृढ़ि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैठ रीक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की गोटाई संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/02/2023 के परिपेक्ष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. एलओआई की वैधता दृढ़ि संधारनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर अटल नगर के पू. ज्ञापन क्र. 806/खनि 02/रेत(खनि)/नक.38/1996 नवा रायपुर दिनांक 02/02/2023 हुती जारी की गई, जिसकी वैधता 6 माह (अर्थात् दिनांक 29/03/2023) की अवधि हेतु गई है।
2. प्रस्तुत पंचनाम दिनांक 09/02/2023 अनुसार बैठ रीक (Bed Rock) की गहराई 3 मीटर से 3.5 मीटर होना कहाया गया है।
3. समिति का मत है कि सीईआर एवं बृक्षारोपण कार्य के मौजिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, शाम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं बृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के सुपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लौहर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लौहर लैंसो वेत्र भारी बाहन की श्रेणी है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जायें।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्थानन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्थानन योजना में उत्थानन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःप्रत्ययन राशियों अव्ययन कार्य एवं उत्थानक्षेत्री आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। भवियासी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःप्रत्यय होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से गिम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (प्राम-बघरी) का रफता 1,263 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में रखीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-२ श्रेणी की मानी गयी।
2. वृक्षारोपण कार्य — वृक्षारोपण (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर कुल 250 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,600 रुपये, फौसिंग के लिए राशि 32,500 रुपये, खाद के लिए राशि 13,000 रुपये, शिंचाई के लिए राशि 50,000 रुपये, तथा रसा-रखाव के लिए राशि 1,00,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,98,100 रुपये प्रथम वर्ष में एवं छिंतीय वर्ष कुल राशि 1,63,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाढ़ अव्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःप्रत्यय (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्थानन का नदी, नदीतल, स्थानीय बनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्थानन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीज क्षेत्र की सतह का बैरालाईन खाटा —
 - i. रेत उत्थानन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड विन्डुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तालिका एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. पोस्ट-मानसून (छठकूवर/नवम्बर माह में रेत उत्थानन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड विन्डुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं छाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड विन्डुओं पर किया जायेगा।
 - iii. हसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (भई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड विन्डुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का वापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड विन्डुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का वापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं ग्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनियार्थ रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विभास उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स बघरी सेप्ट नाईन (ए) (प्रो.— श्री सुभेन्दु शिंह), खासा क्रमांक 290, प्राम-बघरी, तहसील-लोरी, जिला-भुगोली, कुल लीज क्षेत्रफल 1,263 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 2,350 कर्गीटर क्षेत्र कम करने पर 1,028 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में

ही रेत उत्खनन अधिकारी १ भौतर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल ९,७६६ घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति, जारी दिनांक से ०२ वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुसारा की गई। रेत की खुदाई अभिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी बाहनों का प्रयोग प्रतिवर्धित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ़े (Excavation pits) से लॉडिंग बाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

६. सस्टेनेबल सेप्ट माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्मेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स और सेप्ट माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
७. ईन्फोर्मेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सेप्ट माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत ६० प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2022 को संघन १४३वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अकलीकरण किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 में उल्लेखित तथ्य निम्न है—

“(i) पैरा ८ गे, खनन परियोजनाओं या नियिकियों के गामले में ऐप्टा खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिए जाएंगे।”

प्राधिकरण द्वारा विचार विभर्ण उपरोक्त शर्वसम्मिलि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

१. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार पर्यावरणीय स्थीकृति की कैब्रियटा मान्य होगी।
२. नमिति की अनुशासा को स्थीकार करते हुये मेसर्स बपर्स सेप्ट माईन (ए१) (प्रौ.- श्री सुमेन्द्र सिंह), खको पर्यावरणीय स्थीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से ०२ वर्ष तक की अवधि हेतु निम्न अंतिरिक्त शर्तों के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया।

“नदी तट पर किये जाने वाले गुहारोपन एवं सी.ई.आर. के तहत किये जाने वाले गुहारोपन की जानकारी जियोटैग (Geotag) पोटोग्राफ्स सहित अंतर्गतिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।”

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को संशर्त पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

३. मेसर्स उत्तीर्णगढ़ मिनरल सेक्लिपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (उरंगा एवं बरिमा बालसाईट माईन), ग्राम—उरंगा एवं बरिमा, ताहसील—मैनपाट, ज़िला—सरगुजा (संचिवालग का नस्ती क्रमांक २१८६)

ऑनलाईन आवेदन — पूर्ण में प्रयोजन नम्बर — आईए/ सीजी/ एमआईएन/ २५३२३१ / २०२२, दिनांक २५/०१/२०२२ द्वारा टी.ओ.आर. हेतु भारत सरकार, पर्यावरण,

यह एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन किया गया था। उत्तरान में प्रधोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 405926/2022, दिनांक 11/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईल है आई.ए.रिपोर्ट एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित बौकसाईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान शाम-उरंगा एवं बरिमा, तहसील-मैनपाट, ज़िला-सरगुजा, कुल क्षेत्रफल - 179.595 हेक्टेयर (गिरी भूमि - 168.124 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि - 11.471 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित कुल उत्थानन क्षमता - 11,00,000 टन प्रतिवर्ष आरओएम उत्थानन क्षमता - 8,50,000 टन प्रतिवर्ष (सेलेबल बौकसाईट खनिज 4,00,000 टन प्रतिवर्ष, सबशेड खनिज 1,52,600 टन प्रतिवर्ष, येस्ट खनिज 2,97,500 टन प्रतिवर्ष) एवं औच्च बर्फन क्षमता - 2,50,000 टन प्रतिवर्ष) है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 12.73 करोड़ होगी।

भारत सरकार, पर्यावरण, यह एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक No.IA-J-11015/3/2022-IA-II(NCM), दिनांक 11/03/2022 द्वारा स्टैचर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है। उत्पादात् भारत सरकार, पर्यावरण, यह एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1886(अ), दिनांक 20/04/2022 के प्राकाशनों के उहरु कोषले के जलवा अन्य प्रमुख खनिज उत्थानन पट्टे के संबंध में 230 हेक्टेयर से कम के प्रकरण पर विचार ताज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.)/ राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) को है।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 10/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री सुशील कुमार चन्द्राकर, एसीसाटेट जनरल मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में श्रृंखली सेवा प्राइवेट लिमिटेड, नानपुर की ओर से श्री उमाकान्त शेठे उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर जिन स्थिति पाई गई-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्थानन के संबंध में ग्राम पंचायत उरंगा का दिनांक 08/07/2022 एवं ग्राम पंचायत बरिमा का दिनांक 06/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्थानन योजना - माईनिंग घासन एवं प्रोट्रैक्सिव गाईन कलोजन घासन प्रस्तुत किया गया है, जो शोधीय घासन नियंत्रक, भारतीय घास बूरी, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सरगुजा/बौकस/खाड़ी-1304/2021-रायपुर, दिनांक 23/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
- एस.ओ.आई. संबंधी विवरण - एस.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज सामग्री विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अठल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-7/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 30/09/2021 द्वारा एस.ओ.आई. जारी की गई है, जो दिनांक 28/03/2023 तक वैध है।

5. भू-स्वामित्र — भूमि स्वामित्र संकेती जानकारी / दस्तावेज़ (पी-1, पी-2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. बन विभाग का अनापरित प्रमाण पत्र — कार्यालय सममिकलाधिकारी, सरगुजा बनमंडल, अधिकापुर के छापन क्रमांक/तकालिख/2313 अधिकापुर, दिनांक 13/12/2022 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार निम्न तथ्यों का सत्त्वेत्व है—
- प्रस्तावित खनिष्ठटा क्षेत्र में पाये जाने वाले कन्यप्राणी संख्यूल 1 के नहीं हैं, खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. दूरी पर प्रवासी हाथियों का यदा—कदा अल्प समय हेतु आवागमन होता है। समिति का मत है कि 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विशिष्ट साक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य बन संचालक/प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - प्रस्तावित काक्साईट खनिष्ठटा क्षेत्र के 10 कि.मी. बिल्ला (बोर एवं बफर जौन) में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायो रैम्यर रिजर्व, टाईगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, प्रवासी पश्चियों का स्थल एवं अन्य बन प्राणियों के लिए कौशिल आदि स्थित नहीं हैं।
 - प्रस्तावित काक्साईट खनिष्ठटा क्षेत्र राजस्व भूमि और नियी भूमि होने के कारण बन अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है।
8. महत्वपूर्ण संरक्षनात्मकों की दूरी — निकटतम आवादी ग्राम—उरंगा 50 मीटर, लाहर मैनपाट 6.3 कि.मी. एवं ऐल्वे स्टेशन अधिकापुर 65 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13.8 कि.मी. दूर है। बनगरदा नाला 1.5 कि.मी., सरगुद नदी 3 कि.मी. दूर है।
9. पारिसिथितिकीय/जैवविविधता संरक्षनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विटिकली पील्युटेड एरिया, पारिसिथितिकीय संरक्षनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. खनन संपर्क एवं खनन का विवरण — अनुमोदित ज्ञानी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,07,17,590 टन एवं माइनेबल रिजर्व 28,95,750 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज़ विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकातम गहराई 17 मीटर है। कृपया बिट्टी की भात्ता 3,44,540 टन एवं औलर बढ़न 2,50,000 टन प्रतिवर्ष है। जिसका उपयोग पुनर्मराव एवं शुकारोपण हेतु किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में काशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण निवारण हेतु जल का छिढ़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (ROM टन)	सेलेक्शन मिनरल्स (टन)	वेस्ट मिनरल्स (टन)	सब रेक्स मिनरल्स (टन)
प्रथम	1,55,840	55,538	54,474	45,628
द्वितीय	1,96,200	74,942	68,670	52,588
तृतीय	2,37,960	1,00,111	83,286	54,563

चतुर्थ	4,79,160	1,43,492	1,67,706	1,67,962
पंचम	4,77,600	1,99,750	1,67,160	1,10,690

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 25 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापरिस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
12. कृषारोपण कार्य – प्रस्तावित क्षेत्र के ऊपर ऐरिया कृषि भूमि होने के कारण उत्कृष्टन उपरांत भूमि का पुनर्बन्धन कर भू-स्थानी की पुनः प्रदान की जाएगी, जिसके कारण कृषारोपण ग्राम पंचायत से सहमति उपरांत ली गई भूमि में कुल 92,000 नग कृषारोपण किया जाएगा।
13. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी ने उत्कृष्टन – लीज क्षेत्र के बारे और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्कृष्टन कार्य नहीं किया गया है।
14. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – नॉनिटरिंग कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर व्यानि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 4 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. नॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₃, का सान्दर्भ लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	11.2	21.8	60
PM ₁₀	34.3	51.1	100
SO ₂	5.7	10.9	80
NO _x	8.6	14.4	80

- iii. परियोजना क्षेत्र के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टैबल अनुसार यलोराइड्स, नाइट्रोट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेह, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्दर्भ लेवल भारतीय मानक से कम है।
- iv. परिवेशीय व्यानि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	39.5	54.6	75
Night L _{eq}	33.3	40.8	70

जो उक्त क्षेत्र के नियमित मानक स्तर से कम है।

- v. पी.सी.यू. की गणना— भारी वाहनों / मल्टीएक्शन हिंदी वाहनों की समाहित करते हुये ट्रैफिक अव्यायन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 133 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं ली/सी अनुपात (V/C ratio) 0.01 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 611 पी.सी.यू. की सूचि होगी। उत्पाद्याल् कुल 744 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं ली/सी अनुपात (V/C ratio) 0.036 होगी। विस्तार के उपरांत भी ली-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सक

मार्ग की लोड केरिय क्षमता विभागित मानक (zone of free flow) के भीतर है।

15. लोक सुनवाई दिनांक 20/09/2022 प्रातः 11:00 बजे रुदान - रटेडियग ताहसील कार्यालय के सामने, शाम-नर्मदापुर ताहसील-पैनपाट, जिला-सरगुजा में संबन्ध हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य शाखिय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 21/10/2022 हात प्रेषित किया गया है।

16. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- i. परियोजना के अंतर्गत जिन भू-स्वामियों से उनकी भूमि ली जाती है उन्हें खदान में रोजगार नहीं दिलाता है।
- ii. खदान के कारण आस-पास के क्षेत्र का पर्यावरण प्रभावित होगा एवं परिवहन मार्ग को क्षतिग्रस्त होने से चुल उत्सर्जन होगा।
- iii. खदान क्षेत्र के आसपास कूवी/रहवासी क्षेत्र को ब्लास्टिंग के दौरान होने वाली नुकसान के रोकथान के लिए बया उपाय अपनाये जायेंगे?
- iv. शाम पंचायत बरीमा में सीएमडीसी खदान कार्य कर रही है, लेकिन वहाँ के शामवासियों को ना तो काम दिया जाता है, न साइट दिखाया जाता है, न वी.डी. रजिस्टर में नाम दिखाया जाता है।
- v. हमारे शाम पंचायत बरीमा के लोग जरूर हैं, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो रोड़ की व्यवस्था है, ना तो स्वास्थ्य की सुविधा है।
- vi. यह के लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान सुखाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपरिकृत प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. इस परियोजना के अंतर्गत भू-स्वामियों से उनकी भूमि का फसल मुझावजा दे कर कैवल ? वर्षों के लिए पट्टे पर लिया जायेगा। प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक परिवार से कम से कम एक सदस्य को उनकी योग्यतानुसार रोजगार हेतु प्रार्थनिकता दी जाएगी।
- ii. खदान के बाही तरफ वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही कन्ट्रोल ब्लास्टिंग एवं खनिज परिवहन मार्ग के दोनों तरफ राघन वृक्षारोपण एवं नियन्त्रित रूप से जल छिपाकार किया जाएगा।
- iii. डी.जी.एम.एस. के नियमानुसार कन्ट्रोल ब्लास्टिंग एवं वेट ड्रिलिंग किया जाएगा, ताकि कस्ती एवं कूवी योग्य भूमि को क्षति न हो।
- iv. सीएमडीसी वी प्रस्तावित उरंगा-बरीमा बॉक्साईट खदान में सीएमडीसी द्वारा प्रत्येक प्रभावित परिवार से 1 सदस्य को योग्यतानुसार रोजगार दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है। साथ ही उनका नाम वी. एवं डी. रजिस्टर में प्रार्थनिकता के आधार पर जुळवाया जाएगा।
- v. शाम उरंगा-बरीमा एवं आस-पास के ऊनीय ग्रामों के शामील विकास में सहयोग एवं मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। समय-समय पर स्वास्थ्य सिविर एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाएगा। पेय जल उपलब्ध कराने हेतु गांव की आवश्यकतानुसार नलबुर्जों का बहन किया जाएगा। शाहको का रख-रखाव एवं प्रतिक्रियाओं का निर्माण आदि

सुनिश्चारं द्वारा पंचायत के सहयोग से आवश्यकतानुसार समय—समय पर किया जाएगा।

८. शिलिंग बेंजामिनी को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राप्तिकला दी जायेगी।
१७. इन्हायरोमैटल मैनेजमेंट प्लान — परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्हायरोमैटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रथम वर्ष में टैक्स के माध्यम से जल फिल्टर काव हेतु 25 लाख, गारलेण्ड निर्माण हेतु 3 लाख, रिटेनिंग बाल हेतु 2 लाख, बील्डर बैक प्लान हेतु 1.5 लाख, ब्यानी रोडक हेतु 1 लाख, भौमिकरिंग हेतु 2 लाख, सौलर ऐनल हेतु 1 लाख, रेन बीटर हार्डस्टोर्टिंग हेतु 1 लाख, अमिको के हेतु 1 लाख वैकअप फ़ॉसिलिटी, ट्रेनिंग, जागरूकता आदि हेतु 1 लाख, अभिको के सुरक्षा उपकरण हेतु 0.22 लाख एवं अन्य हेतु 3 लाख रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में युल 82.72 लाख रुपये एवं आगामी वर्षों में रुपये 20 लाख प्रतिवर्ष व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
१८. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के राहत 25.5 लाख रुपये का इको पार्क निर्माण हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के राहत इको पार्क निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव (Detailed Project Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
१९. प्रस्तुतीकरण की दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्षी जल के बहाव को रोकने हेतु गारलेण्ड छेन एवं लूज पार्टिकल्स को रोकने के लिये रिटेनिंग बील की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाइडलाइन्स के अनुसार सतत परिवेशीय बायु गुणवत्ता भौमिकरिंग स्टेशन की व्यापना किया जाएगा।
२०. चबान की आयु तक 133.47 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्तरानन कार्य किया जाएगा एवं रोप 46.125 हेक्टेयर क्षेत्रफल को युख्तात्मक दृष्टिकोण एवं स्थिति उपलब्धता नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में उत्तरानन कार्य नहीं की जाएगी।
२१. उत्तरानन कुल क्षेत्रफल 133.47 हेक्टेयर में से 105.47 हेक्टेयर क्षेत्रफल का पुनर्भवाव किया जाएगा, 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल का उपयोग सबस्क्रिप्ट स्टॉक एवं 3 हेक्टेयर को बाटर रिजर्वायर के रूप में उपयोग किया जाएगा।
२२. “सी.एम.डी.सी. द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खनन क्षेत्र के स्थित प्रत्येक भू-स्थानी/खातेदारों को रुपये 72,800 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 07 वर्षों की अवधि के लिये डातिपूर्ति फसल मुआवजा का भुगतान किया जावेगा। उक्त 07 वर्ष की अवधि समाप्त भूमि में खनन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रारंभ हो कर आगामी 07 वर्ष की अवधि की समाप्ति तक माना जावेगा।” इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।
२३. “भारतीय खान बूरे द्वारा इस आदान के लिए अनुमोदित माइनिंग प्लान/माइनिंग स्कीम के अनुसार ही सी.एम.डी.सी. द्वारा भूमि स्थानियों की भूमि को खनन के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न घरणों में लिया जाएगा।” इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

24. "समस्त खालीदारों द्वारा खनन संचालन हेतु पूर्ण कार्य को सहयोग प्रदान किया जायेगा एवं भविष्य में खनन कार्य में काई व्यवस्था उत्पन्न नहीं किया जायेगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।
25. "इस सहमति के आधार पर भू-अर्जन अधिकारी द्वारा आम बरिमा तथा उरंगा के प्रभावित भूमि स्थानियों के भूमि के लिए क्षतिपूरी मुआवजा निर्धारित आदेश जारी किया जायेगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।
26. "सी.एम.डी.सी. द्वारा खालीदारों को नुआकजा का मुकाबला भू-अर्जन अधिकारी के माध्यम से ही किया जायेगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।
27. "सी.एम.डी.सी. को खनन क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों/ भू-स्थानियों को कार्य में प्राथमिकता होगी। समस्त खालीदारों को उनकी भूमि उत्थनन पश्चात् समर्त्तीकरण करने वापर की जायेगी।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।
28. "सी.एम.डी.सी. द्वारा निजी भूमि के भू-स्थानीय को बाक्साईट समिज का उत्थनन एवं परिवहन करने के पश्चात् समर्त्तीकरण कर समयावधि में वापर किया जाना है उपरोक्त क्षेत्रों के स्थीरता क्षेत्र के छाते और 7.5 मीटर की वरिष्ठि पर वृक्षारोपण किया जाना अनियार्थ होता है परन्तु निजी भू-स्थानियों द्वारा निजी भूमि पर वृक्षारोपण का विरोध किया जाता है क्योंकि उनको खनन उपरांत खोती किया जाना होता है।" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. "सी.एम.डी.सी. को स्वीकृत क्षेत्रों में निजी भूमि के बराबर (7.5 मीटर की वरिष्ठि में) अन्य क्षेत्रों में जनप्रतिमिहियों/सरपंच/अन्य अधिकृत प्रतिमिहियों से सलाह कर उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु सी.एम.डी.सी. व्यबहार है।" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. "CMDC undertakes that the contents of EIA/EMP are true and correct to best of my knowledge and belief, that nothing has been concealed" शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. "This is new project, therefore Hon'ble Supreme court of India' judgment dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and ors. Shall not be applicable to this project." शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. "CMDC will obtain the consent of all land owners within the mining lease area before the commencement of mining operation" शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. "CMDC will obtain approval of Biodiversity Management Plan (including Wildlife Conservation Plan) from PCCF (Wildlife)/Chief Wildlife warden, Chhattisgarh or any other competent authority as per the requirement of project before the commencement of mining operation" शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उत्थान सहमति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. नूमि स्वामित्र संबंधी जानकारी/दस्तावेज (बी-1, पी-2) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उत्थान हेतु भूमि न्यायी का सहमति पत्र की प्रति (आदि आवश्यक होतो) प्रस्तुत किया जाए।
2. 10 पिलोनीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सभाम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य बन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत इको पार्क निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव (Detailed Project Report) प्रस्तुत किया जाए। उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

लदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/02/2023 के परिषेक्षण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. भूमि संबंधी दस्तावेज खासरात्रार सहित प्रस्तुत किया गया है। साथ ही "CMDC will obtain the consent of all land owners within the mining lease area before the commencement of mining operation" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) भी प्रस्तुत किया गया है। समिति का नत है कि वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सभाम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य बन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. "CMDC will obtain approval of Biodiversity Management Plan (including Wildlife Conservation Plan) from PCCF (Wildlife)/Chief Wildlife warden, Chhattisgarh or any other competent authority as per the requirement of project before the commencement of mining operation" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का नत है कि वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सभाम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य बन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. लेटेचाईट लिमिटेड उत्थान के संबंध में उत्थानित मात्रा, खनन अवधि, लेटेचाईट उत्थान योजना आदि समस्त जानकारी/दस्तावेज/अनुमति पत्र एस.ई.आई.ए.ए.. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 19/01/2023 को माध्यम से कलेक्टर, जिला—सरगुजा की सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत इको पार्क निर्माण हेतु जिला सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में 2 से 5 हेक्टेयर तक की शासकीय भूमि आवृत्ति किये जाने हेतु मांग किया गया है।

इको पार्क निर्माण किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा बी.पी.आर (Detailed Project Report) प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बी.पी.आर (Detailed Project Report) अनुसार आगामी कार्यवाही किये जाने बाबत उन्करटेकिंग (Undertaking) भी प्रस्तुत किया गया है। इको पार्क हेतु प्रस्तुत बी.पी.आर (Detailed Project Report) निम्नानुसार है—

S.No.	Particulars	Area/Length (Sqm/Mtr)	Unit	Rate	Amount (Rs.)
1	Lawn	2,970	1	30	89,100
2	Childrens Park	3,075	1	150	4,61,250
3	Rose Garden	3,162	1	80	2,52,960
4	Butterfly Garden	3,096	1	80	2,47,680
5	Flower Garden	6,940	1	50	3,47,000
6	Pathway	6,730	1	45	3,02,850
7	Street light	673 (10 Mtr Per Pathway)	673	1,200	8,07,600
8	Chain link Fencing (Boundary Fencing)	880 Mtr (Running 4m Size)	6,032	78 per Kg	4,70,496
9	Lake	4,750	1	200	9,50,000
10	Dense Forest	6,782	1	50	3,39,000
11	Wooden Pagoda	114	3	85,000	2,85,000
12	Toilets	6	2	70,000	1,40,000
13	Fruit Orchard	3,747	1	45	1,68,615
14	Guard Room	25	1	1,80,000	1,80,000
15	Reception Counter	25	1	50,000	50,000
Total					50,91,551

समिति द्वारा विधार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार भिन्नव लिया गया:-

- आवेदित खदान (ग्राम-उरंगा एवं बरिमा) का रकमा 179.595 हेक्टेयर है। खदान की रोमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
- बन्द प्राणी संख्या योजना तैयार कर, विधिवत् सकान प्राधिकारी (प्रधान मुख्य बन संचाक(व.प्रा.) सह युक्त वन्यप्राणी) से अनुमोदन प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
- लेटेराईट खनिज उत्खनन के संबंध में उत्खनित मात्रा, खनन अवधि, लेटेराईट प्रबंधन योजना आदि समस्त जानकारी/दस्तावेज़/ अनुमति पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
- समिति द्वारा विधार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - नेसन छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (उरंगा एवं बरिमा बाक्साईट माईन) को ग्राम-उरंगा एवं बरिमा, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा में स्थित बीकसाईट (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-179.595 हेक्टेयर (निजी भूमि-168.124 हेक्टेयर एवं लासकीय भूमि-11.471 हेक्टेयर), कुल उत्खनन क्षमता - 11,00,000 टन प्रतिवर्ष (आवधीन उत्खनन क्षमता - 8,50,000 टन प्रतिवर्ष, सब्सेंड खनिज 4,00,000 टन प्रतिवर्ष, सब्सेंड खनिज 1,52,800 टन प्रतिवर्ष, बेस्ट खनिज 2,97,500 टन प्रतिवर्ष) एवं औच्चर बर्फन क्षमता - 2,50,000 टन प्रतिवर्ष] हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अदलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मैसर्स छत्तीसगढ़ निम्रल मैक्सिपेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (उरंगा एवं बरिमा बाक्साईट नाईन), ग्राम-उरंगा एवं बरिमा, तहसील-मैनपाट, जिला-सारगढ़ को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-

- I. Environmental Clearance shall be effective from date of submission of all requisite documents as prescribed by SEAC, CG at serial no. 2 of page no. 59 and serial no. 3 of page no. 59.
- II. All conditions prescribed by SEAC, CG shall be complied with by the Project Proponent.

समिति द्वारा विभिन्न शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विवित कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

10. मैसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड (धीरभाटा लाईम स्टोन कार्पोरेशन- श्री धूब कुमार अद्यवाल), ग्राम-धीरभाटा, तहसील-सारगढ़, जिला-रायगढ़ (वर्तमान में जिला-सारगढ़-बिलाईगढ़) (समियोजन का नस्ती क्रमांक 2150)

ऑनलाईन आवेदन – प्रयोजन नम्बर – एसआईए/ शीजी/ एमआईएन/ 286298 / 2022, दिनांक 09/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कथिती होने से ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानित जानकारी दिनांक 13/10/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित भूना पलकर (गौण स्थानिज) खदान है। खदान ग्राम-धीरभाटा, तहसील-सारगढ़, जिला-रायगढ़ (वर्तमान में जिला-सारगढ़-बिलाईगढ़) स्थित खासरा क्रमांक – 140/5, 152/4, 140/1, 140/11, 150, 141/3, 140/6, 140/10 एवं 140/3, कुल क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-61,500 टन प्रतिवर्ष है।

तादानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 43वीं बैठक दिनांक 07/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी विवेक अद्यवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अदलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- गान पंचायत का अनापलित प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौरामांटा का दिनांक 12/09/2018 का अनापलित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना — जारी घटान एकांग विषय इन्हायरीमेंट मैनेजमेंट प्लान विषय प्रोजेक्टिव क्षारी बलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो छानि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के पू. झापन क्रमांक 1457ए/ख.लि.-2/2002 रायगढ़, दिनांक 18/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खानिज शास्त्र), जिला-रायगढ़ के झापन क्रमांक 1643 कले./ख.लि./2022 रायगढ़, दिनांक 03/10/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खानिज शास्त्र), जिला-रायगढ़ के झापन क्रमांक 1543 कले./ख.लि./2022 रायगढ़, दिनांक 03/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र यीसो घार्मिक/एतिहासिक स्थल, पुल, नदी, रेलवे लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 120 मीटर की दूरी पर नाला स्थित है।
- एस.ओ.आई. संबंधी विवरण — एस.ओ.आई. मैसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड, डीयरेक्टर—भी ध्रुव कुमार अशवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खानिज शास्त्र), जिला-रायगढ़ के झापन क्रमांक 1190/ख.लि.-2/2022 रायगढ़, दिनांक 04/07/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी पैषता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि राख है।
- धू-स्वामित्व — धूमि रासन क्रमांक 140/5, 152/4, 140/1, 140/11, 150, 141/3, 140/6, 140/10 एवं 140/3 भी अवण अशवाल, मैसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड रायगढ़ के नाम पर है। उत्खनन हेतु धूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- बन विभाग का अनापलित प्रमाण पत्र — कार्यालय बनघण्ठलाधिकारी, रायगढ़ बनघण्ठल, जिला-रायगढ़ के झापन क्रमांक/तक.अधि./1890/2019 रायगढ़, दिनांक 11/04/2019 से जारी अनापलित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम बन क्षेत्र की सीमा से 1.88 कि.मी. एवं गोमर्डा अभ्यारण्य से 10.6 कि.मी. की दूरी पर है।
- महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवादी ग्राम—धौरामांटा 1 कि.मी., रक्खुल ग्राम—धौरामांटा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम—धौरामांटा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राजमार्ग 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। महानदी 5 कि.मी. एवं नाला 120 मीटर दूर है।
- पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण योर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संपैदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र रिप्पत नहीं होना प्रतिपेदित किया है। गोमर्ही बन्यजीव अभ्यारण 10.6 कि.मी. की दूरी पर है।

12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिपार्ट 13,65,000 टन, माईनेशल रिपार्ट 4,03,043 टन एवं रिक्वोरेल रिपार्ट 3,82,890 टन है। लीज की 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का घनमीटर 6,500 घनमीटर है। औपन कास्ट सेमी मैकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में छपरी गिट्टी की भौटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,500 घनमीटर है। वेष्ट की ऊंचाई 3 मीटर एवं छोड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्षार स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से डिलिंग एवं कॉटोस ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण मिक्सिंग हेतु जल का छिनकाव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	60,000
द्वितीय	60,000
तृतीय	60,300
चतुर्थ	60,750
पंचम	61,500

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोर्डेस के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सोन्टूल ग्राहक बौद्धर अधीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. युक्तारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग युक्तारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित हैं—

विवरण	प्रथम (करपये)	द्वितीय (करपये)	तृतीय (करपये)	चतुर्थ (करपये)	पंचम (करपये)
खदान के बाहरी में (1,000 नग) युक्तारोपण हेतु	द्वारा प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	70,000	7,000	7,000	7,000
फोरिंग हेतु राशि	1,74,800	—	—	—	—
खाद हेतु राशि	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000
सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,66,000	1,56,000	1,56,000	1,56,000	1,56,000
कुल राशि = 10,96,000	4,40,800	1,64,000	1,64,000	1,64,000	1,64,000

15. खदान की 7.5 मीटर की छोड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन करने नहीं किया गया है।

16. गैर माईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र के 575 घनमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के भीतर कुछ क्षेत्रों में 6 मीटर के बाद उत्खनन किया जाना संभव नहीं है। लीज क्षेत्र में छपरी गिट्टी की भौटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,500 घनमीटर है।

जिसमें से 8,000 घनमीटर जलपरी मिट्टी को 7.5 भीटर (वाईन बाचान्ही) होते हैं फैलाकर वृक्षारोपण के लिए एवं लगभग 4,000 घनमीटर को लीज क्षेत्र के भीतर प्रथम वर्ष में जिस क्षेत्र में उत्थानन नहीं किया जाना प्रस्तावित है उस क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी को संरक्षित रखा जाकर उत्थानित क्षेत्र में पुनर्जागरण हेतु उपयोग किया जाएगा तथा शेष 2,400 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर उत्तर-पूर्वी भाग के 1,200 घनमीटर क्षेत्र में संरक्षित किया जायेगा।

18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्मानितार से वर्षा उपरांत निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38			Following activities at Govt. Primary School Village-Dhaurabhatha	
			Running Water in the toilet	0.40
			Plantation in school	0.73
			Total	1.13

19. सीईआर को अंतर्गत स्वूत परियोजना को भीतर (आविला, जामुन, कटहल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पीठी के लिए राशि 1,200 रुपये, फैसिले हेतु राशि 8,000 रुपये, खाद के लिए राशि 200 रुपये, सिंचाई तथा रस्ता-रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,400 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

20. सीईआर के तहत प्रस्तावित कार्य हेतु स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कंट्रोल ब्रासिटेंग किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्जीवन नीति के तहत स्थानीय लोगों वाले सोजगार दिये जाने हेतु शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. वाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर साधन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीछों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनेसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बालाही फिल्सर्स द्वारा सीमावर्तन का कार्य सुनिश्चित किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वाचित जानकारी/इस्तापेज प्राप्त होने उपरात आमामी कार्यवाली की जाएगी।

उदानुसार एसईएसी, छत्तीसगढ़ के घायन दिनांक 31/01/2023 के परिवेष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/02/2023 को जानकारी/इस्तापेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

साखिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर साधन वृक्षारोपण किये जाने एवं सेपित पौधों का सरवाईयल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाधकीय पिल्लरी द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
8. समिति का फल है कि सीईआर कार्य एवं 7.5 गीटर की सीमा पट्टी में कृषारीपण कार्य के नोनिटरिंग एवं पर्सेक्शन हेतु प्री-प्लाय समिति

(प्रोपर्टीटर/प्रसिद्धि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रसिद्धि एवं ज़िला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मण्डल के पदाधिकारी/प्रसिद्धि) नहिं किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं 7.5 बीटर की सीमा पट्टी में खुसारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत नहिं त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

७. माननीय एन.जी.टी., प्रिसिपल बैठक, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाठ्कोश विश्वद्व भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 180 और 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खानिज साखा), ज़िला-रायगढ़ के इच्छन क्रमांक 1543 कले./ख.लि./2022 रायगढ़, दिनांक 03/10/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के भीतर अविभक्त खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-धीरभांटा) का रकबा 1.82 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 बीटर की परिधि में स्थीरत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के बाबत यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गई।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड (धीरभांटा लाईम स्टोन कार्पोरेशन- श्री धूष चुमार अपायाल), ग्राम-धीरभांटा, तहसील-सारंगढ़, ज़िला-रायगढ़ (वर्तमान में ज़िला-सारंगढ़-ज़िलाईगढ़) के खसरा क्रमांक 140/6, 152/4, 140/1, 140/11, 150, 141/3, 140/8, 140/10 एवं 140/3, में स्थित चूना पत्थर (गोल खानिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर, क्षमता - 61,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संघन 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसरी का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्थीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड (धीरभांटा लाईम स्टोन कार्पोरेशन- श्री धूष चुमार अपायाल) को निम्न अतिरिक्त शर्तों के अंतर्म पर्यावरणीय स्थीरति जारी करने का निर्णय लिया गया:-

- i. Project Proponent shall carry out a study for conservation of nallah/water body located at a distance of 120 meters from the site and submit an action plan for conservation of the said nallah/water body.
- ii. Project Proponent shall submit an EMP for the project area.

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की सिध्दति में विधिका कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को संक्षेप स्थीरति जारी किया जाए।

11. मेसर्स सोलस फ्यूल्स एप्ल मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम—सम्पत्ति, ताहसील—मंदिर हसीट, जिला—रायपुर (संविकालय का नमस्ती लगांक 2249)

ऑनलाइन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / आईएनडी2/ 412828 / 2023, दिनांक 02 / 01 / 2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — परियोजना प्रस्तावक द्वारा शार्ना क्षेत्रलेक्षा, ग्राम—सम्पत्ति, ताहसील—मंदिर हसीट, जिला—रायपुर स्थित भूमि खासरा लगांक 1534, 1535, 1538, 1539, 1547, 1548/1, 1548/2, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1559, 1560 एवं 1537/3, कुल क्षेत्रफल — 10.19 हेक्टेयर में दोन बेस्ट डिस्टिलरी क्षमता — 200 किलोलीटर प्रतिदिन रिकिटफाईल सिट / एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल / इथेनॉल / अब्सोल्यूट एल्कोहल), को—जगरेशन पीकर प्लांट — 6 मेगावॉट के लिए टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना के विनियोग की कुल लागत 120 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03 / 02 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) सभिति की 451वीं बैठक दिनांक 10 / 02 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजीव गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पार्किनियर इन्वायरंस लेवोरट्रीज एप्ल कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री चाय, महेश्वर रेड्डी उपसिध्त हुए। सभिति द्वारा नमस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अधिलोक्यन एवं परीक्षण करने पर विष्णु सिंह पाई गई—

1. निकटतम स्थित क्रियाकलापी संबंधी जानकारी —

- निकटतम आवादी ग्राम—बोदा 900 मीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन लखोटी 5.7 कि.मी. तथा रवानी विवेकानंद विमानपत्तनम, महाना, रायपुर 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है। महानदी 9.1 कि.मी., महानदी मुख्य नहर 2.2 कि.मी. एवं कुलहन नाला 5.1 कि.मी. दूर है। संघारी नाला परियोजना स्थल से लगी हुई है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय रुद्धान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित फिटिजली बॉल्युटेल एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. भूमि संबंधी विवरण — भूमि सोलस फ्यूल्स एप्ल मिनरल्स प्रा.लि. (श्री अक्षय शर्मा (डीयरेक्टर), श्री लंदीप शर्मा (डीयरेक्टर) एवं श्री विनोद कुमार शर्मा (डीयरेक्टर)) के नाम पर है।

3. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट —

Land Use	Area (In Ha.)	Area (%)
Built-up Area	2.285	22.44
Internal road area	1.650	16.19
Water Reservoir	0.456	4.47
Solid Waste Management Area	0.280	2.65
Parking Area	0.398	3.90
Green Belt Area	3.659	35.91

Misc. areas	1.481	14.54
Total	10.19	100

4. रोड-स्टेरियल -

S.No	Raw Material/Fuel	Source	Quantity (TPD)	Method of Transport
Raw Material for Grain Based Distillery plant.				
1.	Non edible or Multi Grains (Rice, maize, bajra, jowar, corn, Sorghum grain Waste & damaged broken rice and other starch-based grains, etc.)	Local area (Chhattisgarh)	533	By Road through Covered Trucks
Fuel for 1 x 50 TPH Boiler				
1.	Biomass	Local	270	By Road through Covered Trucks
(or)				
2.	Indian coal	SECL	230	By Road through Covered Trucks
(or)				
3.	Imported coal	Indonesia/ Australia	141	Sea/Rail/ Through covered trucks

5. प्रस्तावित सत्पादन इकाईयों संबंधी जानकारी -

S.No.	Name of Product	Production Capacity
1.	Rectified Spirit /Extra Neutral Alcohol /Ethanol/ Absolute alcohol	200 KLPD
2.	Electricity	6.0 MW
By-Products		
3.	DDGS (Distillers Dried Grain Solubles)	144 TPD
4.	CO ₂ Recovery from Fermentation Process	128 TPD
50 TPH Boiler will be proposed to meet the steam requirement of present proposal		

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - प्रदूषण नियंत्रण हेतु बीमलर में ईएस.पी. की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। बार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। बीमलर से निकलने वाली पालू गैस हेतु 51 बीटर छंदी विस्तीर्ण एवं स्टेरियल ट्रांसफर पाईट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर वर्ती स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। पायूल अनलोडिंग सेंटर में रस्त उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल निकाल व कच्ची कनेक्शन सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी।

7. ठोक अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था -

S.No.	Solid Waste Products	Quantity (TPD)	Disposal / Management
1.	DDGS	160	Will be sold as cattle feed/ fish feed/ prawn feed

Boiler ash			
	when 100% Indian coal is used	92	Ash generated will be utilized for making bricks in the brick making unit
(or)			
2.	when 100% Imported coal is used	14.1	Ash generated will be utilized for making bricks in the brick making unit
(or)			
	when 100% biomass	48.6	Ash generated will be utilized for making bricks in the brick making unit

8. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल संगत एवं स्तोत्र – परियोजना हेतु कुल 800 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 780 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउन्ड वॉटर अचौरिटी में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियालयीन है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से 1,858 घनमीटर प्रतिदिन दूषित जल उत्पन्न होगा। प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न अपशिष्ट जल को हीटी.पी. में उपचारित किया जाएगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती, जिसके उपचार हेतु एम्बी.बी.आर तकनीक आवश्यक सीकेज ट्रीटमेंट प्लांट की नियन्त्रण प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को बृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा। डिस्टीलेशन उपरांत जनित स्पैट वॉट 1,200 घनमीटर प्रतिदिन को डिकोन्टर, मल्टी इफेक्ट इंवेपोरेटर एवं छायर से भेजा जाकर ढी.डी.जी.एस.बनाया जाना प्रस्तावित है। प्लांट 30 टन प्रतिघंटा कमता शूच नियन्त्रण की क्षमता रखी जाएगी।
- भू-जल संघोग प्रबंधन – उद्योग स्थल सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के अनुसार संक जौन में आता है। जिसके अनुसार—
 - (अ) दृहद् एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनरुत्पयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्डेस्टिंग / औटिंकिशियल जल रिचार्ज के अलावा पर भू-जल निकलसे जाने की अनुमति सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः संघोग को रेनवाटर हार्डेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- रेन वॉटर हार्डेस्टिंग व्यवस्था – रेन वॉटर हार्डेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत पिवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

9. विद्युत आपूर्ति स्तोत्र – परियोजना हेतु 4 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति 6 मेगावाट को-जनरेशन पॉवर प्लांट (कोपिट) से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु ढी.जी. सेट की संभ्या सहित एवं विमनी संस्थान जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. बुखारीपण संकेती जानकारी – प्रस्तावित परियोजना हेतु 3,659 हेक्टेयर (लगभग 35.91 प्रतिशत) खेत में बुखारीपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि प्रस्तावित उद्योग परिसर के बारे और बुखारीपण हेतु 5 से 6 फ़ीट ऊंचाई वाले पीढ़ी का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फ़ोरेंसिंग, साथ एवं शिथाई तथा रख-रखाव की लिए 5 वर्षीय का घटककार व्यवय या विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव से—आठट प्लान में दर्शाई हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
11. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया बेसलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य 1 दिसम्बर 2022 से 28 फरवरी 2023 के मध्य किया जा रहा है। उक्त के संकेत में दिनांक 20 / 12 / 2022 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकल्प बी—1 केटेगरी का होने के कारण भावत सरकार को पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकल्पित स्टैम्फूल टम्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पौर ईआईए./ईएम.पी. रिपोर्ट फौर प्रोजेक्टस/एकटीविटीज रिव्हायरिंग इन्वायरमेंट बलीयरेंस अप्पर ईआईए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित थ्रेणी डीजी (जी) डिस्टिलरी (Distillery) का स्टैम्फूल टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त विन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुमति की गई—

- i. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that damaged food grains like broken rice, food grains unfit for human consumption, food grains during surplus phase as declared by National Biofuel Coordination Committee (NBCC) shall only be used as a raw material.
- ii. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart.
- iii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- vi. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.
- vii. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- viii. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).
- ix. Project proponent shall submit details of water balance chart.
- x. Project proponent shall submit details of ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.
- xi. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation.
- xii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.



- xiii. Project proponent shall carryout Social Impact Assessment & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.
- xiv. Project proponent shall carry out Impact Assessment Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall submit the layout of plant incorporating proposed plantation work, earmarking at-least 20 meter width (3 tier) of land for plantation all along the boundary and dense plantation around effluent treatment plant and sewage treatment facilities.
- xix. Project proponent shall submit the energy saving techniques proposed in the project.
- xx. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 20 / 03 / 2023 को संघन 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अधिकार किया गया। प्राधिकरण द्वारा विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशासा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टम्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

12. मैसर्च मार्ग विलक्षण (प्रो.— श्रीमती शांति देवी, परना लाइग स्टोन कवारी), प्राम—परना, तहसील—डॉगरगांव, जिला—राजनांदगांव (साधिवालय का नस्ती क्रमांक 2252)

ऑनलाइन आवेदन — प्रधानमन्त्री नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 412376 / 2023, दिनांक 06 / 01 / 2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित घूना पत्थर (गोल खनिज) खदान है। खदान प्राम—परना, तहसील—डॉगरगांव, जिला—राजनांदगांव स्थित छासरा क्रमांक 33 / 2.

33/6 (पाई), 33/7(पाई), 38/3(पाई) एवं 38/4(पाई), मुल क्षेत्रफल—1.266 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—50,000 टन प्रतिवर्ष है। अनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ की ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 451वीं बैठक दिनांक 10/02/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु भी आदित्य जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित भुवरे। समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण—इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्थीकृति जारी नहीं की गई है।
2. द्वाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन एवं क्लान की स्थापना के संबंध में द्वाम पंचायत परना का दिनांक 12/05/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना — क्षारी प्लान (एलांग विधि इन्हायरेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड व्यारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है जो उप-संचालक, खनिज प्रशासन, जिला—दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1360/खनि. अनु—01/2022 दुर्ग, दिनांक 22/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 बीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 01/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 02/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के भीतर अवस्थित 3 खदाने, क्षेत्रफल 3.252 हेक्टेयर हैं।
5. 200 बीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 01/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 02/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 बीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र यौतुर गांविर, गरिबद, मरघट, मुल, नदी, रेल लाईन, अन्तर्राज, रक्षत, एनीकट बांध एवं जल आनूति आदि प्रतिक्षित क्षेत्र नहीं हैं।
6. एलओआई, संबंधी विवरण — एलओआई, मेसर्स भारत विल्डर्स के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1865/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/10/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. मू—स्वामित्व — मूमि खसरा क्रमांक 33/2 श्रीमती लक्ष्माई, नाबालिक इताप शिंह, सुभी आरती, सुभी नेहा, सुभी कमारी, सुभी गंगाधाई व सुभी ओमिन, खसरा क्रमांक 33/6 श्री अलखराम व श्री ऐनुराम, खसरा क्रमांक 33/7 श्रीमती आशोधाई, खसरा क्रमांक 38/3 श्री संजय कुमार एवं 38/4 श्रीमती शांति के नाम पर है। उत्खनन हेतु मू—स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।



9. यह विभाग का अनापरित प्रमाण पत्र – कार्यालय दफनसंकल अधिकारी, राजनांदगांव दफनसंकल, राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क्र. 10-१/2022/5871 राजनांदगांव, दिनांक 19/07/2022 से जारी अनापरित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम यह क्षेत्र की सीमा से ८.२४ कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरक्षनक्षेत्र की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम—पिंकापार ८०० मीटर, स्कूल ग्राम—खुसीपार २ कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम—पिंकापार १ कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग १३ कि.मी. एवं राजमार्ग १२ कि.मी. दूर है। ग्रीसमी नाला ६० मीटर, तालाब १ कि.मी. एवं शिवनाथ नदी ५ कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा १० कि.मी. की परियोजने में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एवं पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
12. खनन संघर्षा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व ८,५४,५५० टन, माईनेश्वल रिजर्व २,५९,२०७ टन एवं रिक्लॉरेश्वल रिजर्व २,४६,२४५ टन है। लीज की ७.५ मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल ४,२२८ वर्गमीटर है। औपन कास्ट सेमी मैकेनाईज़ रिप्रो द्वारा उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकाराम गहराई २४ मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई १ मीटर है तथा कुल नाला ८,४०० घनमीटर है, जिसमें से ४,००० घनमीटर ऊपरी मिट्टी को ७.५ मीटर (माईन बालपूँछी) क्षेत्र में क्लाइमर ग्राहारीपण के लिए एवं शेष ४,४०० घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के निकट साहमरि प्राप्त भूमि (खसरा क्षमांक ३३/६, रक्षा ०.३७५ हेक्टेयर एवं खसरा क्षमांक ३३/७, रक्षा ०.२०३ हेक्टेयर अर्थात् कुल रक्षा ०.५७८ हेक्टेयर) में भञ्जारित कर संरक्षित रखा जाएगा। शेष की ऊपराई ३ मीटर एवं चौड़ाई ३ मीटर है। खदान की संभावित आयु ५.१८ वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रांतर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिक्काव किया जाएगा। दर्शवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

कार्य	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	५०,०००
द्वितीय	५०,०००
तृतीय	५०,०००
चतुर्थ	५०,०००
पंचम	५०,०००

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की नाला ८ घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस जावत् सोन्दूल ग्राहांड बाटर अर्थोरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. गृहारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर ७.५ मीटर की पट्टी में १००० नग गृहारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि ५०,००० रुपये, फॉसिंग के लिए राशि १,००,००० रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि ४०,००० रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि २४,००० रुपये, इस प्रकार कुल राशि २,१४,००० रुपये प्रथम कार्य हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि

1,73,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु उत्तराखण्ड व्यवस्था वन विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. स्थान की 7.5 मीटर की बीड़ी सीमा पट्टी में उत्थनन — लीज क्षेत्र के बारे और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्थनन कार्य नहीं किया गया है।
16. कॉर्पोरेट एंविरोनमेंटल रिसپ्झिल्ट (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु संभिति के सम्बन्ध विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
Following activities at, Village- Parna				
30	2%	0.6	Pavitra Van Nirman	3.712
			Total	3.712

17. सीईआर के अंतर्गत "परिवर्त वन मिर्मान" के तहत (नीम, आम, जामुन, कटहल, करञ्ज आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,300 नग पीढ़ों के लिए राशि 81,000 रुपये, कैशिंग के लिए राशि 50,000 रुपये, सिंचाई व खाद के लिए राशि 50,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,05,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,88,200 रुपये हेतु घटकाशार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा छाम पंचायत परना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 101, क्षेत्रफल 0.526 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
18. उपरी मिट्टी का उपयोग पुनर्भवाव में किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित लूकों की कटाई (यदि आवश्यक हो तो) सहम अधिकारी की अनुमति उपरांत ही किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रकार प्राकृतिक जल स्रोत, लालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्टोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. फ्लूजिटिव लस्ट उत्तरांग के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिपाव किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।



23. मार्फतिंग लीज लैन के अंदर साधन दृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीछों का सरकाईबल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाहुच्छ्री पिल्लसे द्वारा सीमाकान का कार्य सुनिश्चित किये जाने वाले शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना कान्या 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन या प्रकरण लंबित नहीं है।
27. सीईआर कार्य एवं 7.5 बीटर की सीमा पट्टी में दृक्षारोपण कार्य के बोनिटरिंग एवं पर्यावरण हेतु श्री—पक्षीय समिति (श्रीपराईटर/प्रतिनिधि, खान पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कारण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं 7.5 बीटर की सीमा पट्टी में दृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत श्री—पक्षीय समिति से सहभागित कराया जाना आवश्यक है।
28. माननीय एन.जी.टी., ग्रिसियल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ओफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में गुण्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- समिति द्वारा विचार प्रिमरी उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्देशित किया गया—
- कार्यालय कलेक्टर (खानी शाखा), जिला—राजनांदगांव के झापन छामांक 01/ख. लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 02/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के भीतर अवैधित 3 खदानों, क्षेत्रफल 3.252 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (प्राम—परना) का रकमा 1.366 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्राम—परना) को गिलाकर कुल रकमा 4.518 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 बीटर की परिधि में रक्कीकूत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान दो—2 श्रेणी की मानी गयी।
 - समिति द्वारा विचार प्रिमरी उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक — मेसर्स भारत ग्रिल्स (प्री.— श्रीमती शांति देवी, परना लाईम स्टोन लकड़ी), प्राम—परना, गाहलील—झीगरगांव, जिला—राजनांदगांव के खदान क्षमांक 33/2, 33/6 (पाटी), 33/7(पाटी), 36/3(पाटी) एवं 36/4(पाटी) में स्थित घूना पालथर (गोपन खनिया)

खादान, कुल छोतफल—1.200 हेक्टेयर, क्षमता — 80,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विषय उपरोक्त नार्थकामिति से समिति की अनुशंसा वाले स्वीकृत बनाते हुये आवेदक — नेसर्स नारा विल्हेम (प्रो.— श्रीमती शांति देवी, परना लाईन स्टोन कंपनी) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विविध कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

13. नेसर्स रघुनाथपुर आर्डिनेटी स्टोन कंपनी (प्रो.—श्री रंजीत किंडो), ग्राम—रघुनाथपुर, तहसील—पल्ललगांव, ज़िला—ज़ापुर (समिकालय का नस्ती क्रमांक 2255)

ऑनलाईन आवेदन — प्रयोजन नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 412879 / 2023, दिनांक 06/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित साकारण परधर (गौण स्थानिज) खादान है। खादान ग्राम—रघुनाथपुर, तहसील—पल्ललगांव, ज़िला—ज़ापुर स्थित खासरा क्रमांक 490, 486, 488/3, 488/2, 488/4, 488/9, 488/7 एवं 488/5, कुल छोतफल—4.414 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खादान की आवेदित उत्पादन क्षमता—40,120.47 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 451वीं बैठक दिनांक 10/02/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार जगत, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धांत पाइ गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—इस खादान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- शाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्पादन एवं काशर की स्थापना के संबंध में शाम पंचायत रघुनाथपुर का दिनांक 19/09/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्पादन योजना — कंपनी प्लान, इन्फ्राक्षेमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्लॉक्स प्लान प्रस्तुत किया गया है जो स्थानीय अधिकारी, ज़िला—सायगढ़ के पु. ज्ञापन क्रमांक 1804/ए/स्थि./क्षा./2022 रायगढ़, दिनांक 23/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 बीटर की परिमि में स्थित खादान — कार्यालय कलेक्टर (खानिज शाखा), ज़िला—ज़ापुर के ज्ञापन क्रमांक 529/खानिज./2022 ज़ापुर, दिनांक

04 / 12 / 2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर उत्थापित अथवा खदानों की संख्या निम्न है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के ज्ञापन क्रमांक 530 /खनि.शा./2022 जसपुर, दिनांक 04 / 12 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरम्बान, पुल, नदी, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल, एन्ड्रीकट बाय एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
6. एलओआई, संबंधी विवरण – एलओआई, श्री रंजीत किंगड़ी के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के ज्ञापन क्रमांक 489 /खनि.शा./2022 जसपुर, दिनांक 16 / 12 / 2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. चू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 490 श्री विलियम, खसरा क्रमांक 486 श्री पुलसाय, श्री जोहन, श्रीमती तरसिला एवं खसरा क्रमांक 488 /3 श्री त्रिलोचन व किंतन, तिलोमणि बेंगा, खसरा क्रमांक 488 /2, 488 /4, 488 /9, 488 /7 श्री होलसाय, बंगलासी बेंगा, करमसाय, नावालिक शारदा, श्री धरमसाय, श्री धीतदाम, यो, डिरमंत, यु, दशमेत, यो, नुतिजोधाई एवं खसरा क्रमांक 488 /5 श्री मानसाय के नाम पर हैं। उत्थानन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमण्डलाधिकारी, जसपुर बनमण्डल, जसपुर के ज्ञापन क्र./मा.वि./2022/4722 जसपुर, दिनांक 07 / 11 / 2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम बन क्षेत्र की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।
10. बहरपुरी संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी घान-रघुनाथपुर 830 मीटर, स्कूल घाम-रघुनाथपुर 1.45 कि.मी. एवं अस्पताल पल्लालगांव 7.55 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.70 कि.मी. एवं राजमार्ग 9.85 कि.मी. दूर है। बुरडी नदी 5.8 कि.मी., नहर 4.25 कि.मी., मौसमी नाला 1.5 कि.मी. एवं तालाब 980 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पील्कुटेह ररिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
12. लग्नन संपदा एवं खनन का विवरण – परियोजना लिकल रिजर्व 20,38,298 टन, माईनरेक्ट रिजर्व 5,10,932 टन एवं रिकार्डरेक्ट रिजर्व 4,59,839 टन है। लौज की 7.5 मीटर भीड़ी सीमा पट्टी (उत्थानन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रकल 12,115 वर्गमीटर है। औपन कास्ट संपदी मेकेनाइज्ड वित्त से उत्थानन किया जाएगा। उत्थानन की प्रस्तावित ऊँचाई 36 मीटर है। लौज क्षेत्र में कंपरी पिट्टी की गोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,381.25 घनमीटर है। जिसमें से 4,248 घनमीटर कंपरी पिट्टी को 7.5 मीटर (गाईन बालुमझी) क्षेत्र में

फैलावन यूक्सारोपण के लिए एवं एय 3,133.25 घनमीटर उपरी पट्टी को लीज क्षेत्र के निकटतम सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्षमाक 488/1) में अपारित कर संरक्षित रखा जायेगा। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मौटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,381.25 घनमीटर है। ओवर बर्डन का उपयोग क्षार क्षेत्र के समतलीय करना, हॉल रोड व ऐन्स के निर्माण के उपरांत रोड ओवर बर्डन को लीज क्षेत्र के निकटतम सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्षमाक 488/1) में अपारित कर संरक्षित रखा जायेगा। देश की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की आधारित आयु 30 वर्ष है। यैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्लाइटिंग किया जाएगा। लीज क्षेत्र में क्षार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 2,500 वर्गमीटर होगा। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिन्नकार किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,070.16
द्वितीय	40,031.56
तृतीय	40,120.47
चतुर्थ	40,074.84
पंचम	40,014.00

13. जल आमूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.47 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आमूर्ति ग्राम पंचायत एवं भू-जल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् यान पंचायत एवं सेन्ट्रल बार्ड बाटर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. यूक्सारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,206 नग यूक्सारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीड़ी के लिए राशि 12,060 रुपये, जँसिंग के लिए राशि 2,00,000 रुपये, खाद के लिए राशि 60,300 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,50,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 4,22,360 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 8,41,200 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्बन्ध प्रस्ताव से चार उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
31.98	2%	0.6396	Following activities at Govt. Primary School Village- Kotbhiyapara	
			Installation of UV water filter and its	0.25

AMC	
Running water arrangement in toilet	0.30
Distribution of Environment related Books	0.10
Total	0.65

17. सी.ई.आर. के ताल्या प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
18. उत्थानन की प्रस्तावित अधिकाराम गहराई 36 मीटर है। समिति का भत है कि भू-जल क्षेत्र को देखते हुये 30 मीटर से अधिक गहराई तक उत्थानन कार्य नहीं किया जाए।
19. ऊपरी मिट्टी की लीज क्षेत्र के बाहर मंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, यिन्हें न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भवाव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्कोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) हारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पश्चिमिय छात्र उत्थान होता, उन स्थलों पर नियमित जल डिफेंस की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. माईमिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सधन वृक्षारोपण किये जाने एवं उक्त पीढ़ी का 60 प्रतिशत पीढ़ी दर सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. उत्तीर्णगढ़ आदर्श पुनर्वासन नीति के तहत स्थानीय लोगों को रीजनार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक हारा गिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बातचीड़ी पिल्लर्स हारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक हारा तालाब, पौखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संर्कर्त्तन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक हारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके पिल्लर्स इस परियोजना/स्थान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लघित नहीं है।
27. परियोजना प्रस्तावक हारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके पिल्लर्स भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संचालन की अधिसूचना का अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लघित नहीं है।

28. सीईआर कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कृषारोपण कार्य के नियन्त्रित एवं पर्यावरण हेतु डि-प्लीय समिति (प्रोफराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) नहिं किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कृषारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत डि-प्लीय समिति से सहयोगिता करनाया जाना आवश्यक है।

29. माननीय एनजीटी, ग्रिनिपल बेंच, नई दिल्ली हारा सत्येंद्र पाठ्यक्रम विकास भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरियाना एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में गुण्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति हारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (खण्ड शाखा), जिला—जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 529/खनि. ना./2022 जशपुर, दिनांक 04/12/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम—रघुनाथपुर) का क्षेत्रफल 4.414 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संवालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी—2 श्रेणी की मानी गयी।
- समिति हारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक — मेसर्स रघुनाथपुर आर्डिनरी स्टोन कंपनी (प्रो.—श्री रंजीत किंवड़ी) को ग्राम—रघुनाथपुर, ताहसील—पत्थरगांव, जिला—जशपुर के खसरा क्रमांक 480, 486, 488/3, 488/2, 488/4, 488/9, 488/7 एवं 488/6 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खण्ड) खदान, कुल क्षेत्रफल—4.414 हेक्टेयर, बायता — 40,120 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण हारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण हारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण हारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक — मेसर्स रघुनाथपुर आर्डिनरी स्टोन कंपनी (प्रो.— श्री रंजीत किंवड़ी) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति हारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विविध कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।



14. ऐससे सारायपाली औपन कास्ट कोल माईन प्रॉजेक्ट (सातथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड), ग्राम—बुद्धुद, तहसील—पाली, जिला—कोटवा (संविधानसभा का नम्बरी क्रमांक 2285)

ऑनलाइन आवेदन — प्रौजल नम्बर — एसआईए/सीजी/सीएमआईएन/415356 / 2023, दिनांक 21/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियों होने से आपन दिनांक 24/01/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाचित जानकारी दिनांक 25/01/2023 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — परियोजना प्रस्तावक द्वारा दायता विस्तार के तहत ग्राम—बुद्धुद, तहसील—पाली, जिला—कोटवा स्थित कुल बीत्रफल—279 हेक्टेयर में कोल माईन क्षमता—1.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ावर 2.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष (50% Expansion) के लिए पर्यावरणीय स्थीरता हेतु आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 451वीं बैठक दिनांक 10/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्री.के. जोना, जनरल ऐनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसारी सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, सांघी की ओर से श्री प्रवीण श्रीवास्तव उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विषयों पर आवाज़ गई:-

- भारत सरकार के पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में उल्लेखित तथा निम्न है:-

"Guidelines for granting Environmental Clearance (EC) under para 7 (II) (a) of EIA Notification, 2006, for expansion up to 50%, within the existing premises/mine lease area, without additional land acquisition"

Project proponent shall apply in the requisite form on the PARIVESH Portal under para 7 (II) of EIA notification, 2006, along with EIA/EMP reports based on standard ToRs and public consultation report, if applicable. The concerned EAC/SEAC shall appraise the project proposal and it may prescribe additional sector specific and/or other environmental safeguards after due diligence, as required."

- भारत सरकार के पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में उल्लेखित तथा निम्न है:-

"In order to avoid undue delay in obtaining requisite clearance and ensure that due environmental safeguards are in place, it is hereby clarified that the revised EIA/EMP report based on standard ToRs, may be prepared for a maximum of 50% expansion of the original EC capacity for which public hearing has been held, in order to avail the benefit of the above-said OM dated 11th April 2022. However, the EC shall be granted in phases of 20%, 40% and 50% capacity expansion, based on the above mentioned revised EIA/EMP report, subject to submission of Certified Compliance Reports for ECs granted at each stage."

3. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रामपुर अटल नगर के द्वापन दिनांक 03/01/2023 द्वारा पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्थीरता का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अपूर्ण पालन किये गये जारी के परिषेष्य में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रामपुर अटल नगर द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न निर्देश जारी किये गये हैं—
 - रिटेनिंग बौल निर्माण करने के संबंध में कार्यपूर्ण प्रतिवेदन ईमासिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
 - स्लॉच बियर और नॉनिटर लिजार्ड के संरक्षण एवं औषधीय पौधों के संरक्षण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
 - इ.टी.पी. एवं एस.टी.पी. के निर्माण किये जाने के संबंध में कार्यपूर्ण प्रतिवेदन ईमासिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
 - आर एण्ड आर के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
 - परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु कटेशन की स्थापना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
 - कर्मचारियों के हेल्थ ऑफल (occupational health surveillance) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. जल एवं वायु सम्पत्ति — छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ओपन कार्स्ट कोल माईन क्षमता 140 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति नवीनीकरण दिनांक 18/02/2022 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 01/03/2022 से 28/02/2025 तक वैध है।
5. उत्खनन बोर्ड — माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कपनी सेकेंट्री, सात्रह इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड के रिफरेन्स नं. एसईसीएल/बीएसपी/सीएडी/140वीं सीओएफली ईएक्सटी/22-23/762, दिनांक 30/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।
6. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 867 घनमीटर प्रतिदिन (बीयोगिक उपयोग हेतु 767 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू/पोटेबल उपयोग हेतु 100 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। बीयोगिक जल की आपूर्ति माईन सीयेज बीटर (सेटलिंग टैक से उपचारित जल) एवं घरेलू/पोटेबल जल की आपूर्ति बोरेल के माध्यम से की जायेगी। घरेलू/पोटेबल जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल घारुण्ड बीटर अधीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है।
7. खान सुखा महानिदेशालय (DGMS) विलासपुर बोर्ड के द्वापन क्रमांक/3784 विलासपुर, दिनांक 11/09/2014 द्वारा "Exemption from the provisions of Regulation 90 (1) & 98 (3) of the Coal Mines Regulations, 1957 regarding height and width of benches of overburden and coal for extraction by opencast method by deep hole drilling and blasting with the use of HEMM at Saraipli Opencast Mine of M/s SBCL". हेतु पत्र जारी किया गया है।
8. ई.आई.ए. एवं ई.एम.पी. (Environmental Impact Assessment & Environmental Management Plan) रिपोर्ट सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड लिजार्ड इंसिट्यूट

लिमिटेड, रांची हारा तैयार किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 22 / 08 / 2024 तक है।

१०. प्रस्तुत ई-आई-ए. रिपोर्ट का विश्लेषण निम्नानुसार है:-

- जल एवं वायु आदि पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अवधार 2022 से दिसंबर 2022 के बाय किया गया है। 10 विभिन्नीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता वापन, 4 स्थानों पर जल गुणवत्ता वापन, 9 स्थानों पर व्यानि स्तर वापन, 4 रथलों पर रातहीं जल गुणवत्ता तथा 3 स्थानों पर गिर्दटी के नमूने एकाग्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार फीएम, एसओ, एनओ, का सान्दर्भ लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants				
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	GSR 742 (E) Standard at Core Zone ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	GSR 826 (E) Standard at Buffer Zone ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Suspended Particulate Matter (SPM) (Core zone)	228.9	294.3	600	-
Suspended Particulate Matter (SPM) (Buffer zone)	23.7	48.4	-	60
PM ₁₀ (Core zone)	136.2	168.1	300	-
PM ₁₀ (Buffer zone)	48.1	85	-	100
SO ₂ (Core zone)	24.3	41	120	-
SO ₂ (Buffer zone)	9.2	32.1	-	80
NO ₂ (Core zone)	17.9	31.9	120	-
NO ₂ (Buffer zone)	6.6	21.5	-	80

- परियोजना क्षेत्र के आसपास जल रहोलों की गुणवत्ता- ई-आई-ए. के Chapter-3 Description of the Environment में दर्शाये गये टेक्स अनुसार कलोराइड्स, चाइट्रोट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेह, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्त्वों का सान्दर्भ लेवल मात्रात्त्व मानक से कम है।
- परिवेशीय व्यानि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	47.2	67.7	75
Night L _{eq}	38.5	58.1	70

जो उल्लंघन के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- परियोजना प्रस्तावका हारा सी-ई-आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के सम्मान विस्तार से व्यावहारिक निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at near by villages.	
			Rain water harvesting	139.08
			Plantation & beautification around pond at village budbud	34.46
14,326	1.5%	214.89	Plantation & beautification around pond at village Talapara	40.83
			Plantation at near by villages of the Mine	97.26
			Total	311.81

11. सीईआर के तहत रेनवाटर हार्डिंग ग्राम सेमरकबुड़ा के शासकीय प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत रामदेह के शासकीय प्राथमिक, नीडिल स्कूल, आंगनबाड़ी एवं पंचायत भवन, ग्राम छपाही पाता के प्राथमिक एवं आंगनबाड़ी प्राईमरी स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन एवं पब्लिक हेल्प सेंटर, ग्राम गदान के प्राईमरी स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी एवं कम्युनिटी सेंटर, ग्राम पंचायत मुदाली के पंचायत भवन जासकीय प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत नन्दमुलाली के प्राथमिक शाला, नीडिल स्कूल, आंगनबाड़ी एवं पंचायत भवन, ग्राम पंचायत दुर्घटना के शासकीय प्राथमिक शाला, नीडिल स्कूल, आंगनबाड़ी, शासकीय उद्यित गुल्म की दुकान एवं पंचायत भवन, ग्राम पंचायत लोहरिया के शासकीय प्राथमिक शाला, नीडिल स्कूल एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत लोहरिया के शासकीय प्राथमिक शाला, नीडिल स्कूल, हाई स्कूल, आंगनबाड़ी एवं कम्युनिटी सेंटर ग्राम पंचायत कोडार के शासकीय प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत अलीडांड के शासकीय प्राथमिक शाला, नीडिल स्कूल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन एवं महिला शक्तिग्राम संगठन भवन, ग्राम पंचायत बघारीडांड के शासकीय प्राथमिक शाला, नीडिल स्कूल एवं पंचायत भवन, ग्राम पंचायत खरबहार के शासकीय प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत कपोट के शासकीय प्राथमिक शाला, नीडिल स्कूल, आंगनबाड़ी एवं पंचायत भवन, ग्राम पंचायत औरभाडा के शासकीय भवन, ग्राम पंचायत चैपा के शासकीय प्राथमिक शाला, नीडिल स्कूल एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत हरामुड़ी के शासकीय

प्राथमिक शाला, गीडिल स्कूल, हाई स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत बैलटार के शासकीय प्राथमिक शाला, हाई स्कूल, आंगनबाड़ी, हेल्प सेटर एवं कम्युनिटि सेटर, ग्राम पंचायत कोरबी के प्राथमिक शाला, गीडिल स्कूल एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत बनका के प्राथमिक शाला, आंगनबाड़ी एवं हाई स्कूल, ग्राम पंचायत दमिया के प्राथमिक शाला, गीडिल स्कूल, आंगनबाड़ी एवं हेल्प सेटर, ग्राम पंचायत हिम्हा के प्राथमिक शाला, गीडिल स्कूल, हाई स्कूल एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत सिल्ली के प्राथमिक शाला, गीडिल स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत भवन एवं जनकिला केन्द्र भवन, ग्राम पंचायत परसदा के प्राथमिक शाला, गीडिल स्कूल, हाई स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत भवन एवं जनकिला केन्द्र भवन, ग्राम पंचायत खीरा के प्राथमिक शाला, गीडिल स्कूल, हाई स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत पीली के प्राथमिक शाला, गीडिल स्कूल, हाई स्कूल एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत तालापार के प्राथमिक शाला एवं ग्राम पंचायत भवन, ग्राम पंचायत मुनगाड़ीह के प्राथमिक शाला, गीडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं करसुरका गांधी गल्ली हीटल भवन, ग्राम पंचायत गोपेशपुर के प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत नवापार के प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत निर्धी के प्राथमिक शाला, गीडिल स्कूल एवं ग्राम पंचायत भवन में किंवा जाना प्रस्तुतित है। जिसका विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। सभिति का मत है कि रेन बॉटर हार्डिंग के स्थान पर उक्त राशि से कालेक्टर, कोरबा से नथल प्राप्त कर इको पार्क निर्माण किया जाना आवश्यक है।

12. सीईआर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बुढ़बुढ़ के गौठान धोत खासा क्रमांक 135, धोतफल-2.832 हेक्टेयर तथा खासा क्रमांक 657/6क, धोतफल-1.416 हेक्टेयर धोत में क्रमांक: 1,500 तथा 500 नग बृकारीपण किये जाने वाले ग्राम पंचायत बुढ़बुढ़ का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत दुकुपथरा के गौठान धोत खासा क्रमांक 4/1क, धोतफल-2.832 हेक्टेयर धोत में 1,000 नग बृकारीपण किये जाने वाले ग्राम पंचायत दुकुपथरा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत कोराङरिया के खासा क्रमांक 246/1, धोतफल-2.832 हेक्टेयर तथा तालापार का खासा क्रमांक 247/1, धोतफल-1.618 हेक्टेयर में क्रमांक: 1,000 तथा 500 नग बृकारीपण किये जाने वाले ग्राम पंचायत तालापार के गौठान धोत खासा क्रमांक 300, धोतफल-2.428 हेक्टेयर धोत में 500 नग बृकारीपण किये जाने वाले ग्राम पंचायत तालापार का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त धोत (बुढ़बुढ़, दुकुपथरा, कोराङरिया, तालापार) में कुल 6,000 नग बृकारीपण प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 3,80,000 रुपये, जीसिंग के लिए राशि 8,00,000 रुपये, खाद के लिए राशि 37,500 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 17,50,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 27,87,500 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव अन्य हेतु कुल राशि 63,89,000 रुपये आगामी वार वर्षी हेतु घटकयार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि प्रस्तावित लौज धोत एवं उसके आस-पास में हाथियों का विचरण एवं निवास स्थान नहीं होना कहाया गया है। सभिति का गत है कि उक्त धोत में हाथियों का विचरण एवं निवास है अथवा नहीं के संदर्भ में कवर्चालय बनाएँगालाधिकारी, जिला कोरका द्वारा प्रभाग पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

सभिति द्वारा विचार किया रखाया गया संवित्त संस्थानमति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- मास्त सरकार के पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं जारी ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 11/04/2022 तथा दिनांक 30/05/2022 के अनुसार Part 7 (II) (ii) की तहत मेसर्स सारायपाली ऑपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट (साराय इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड) को कामता विस्तार के तहत प्राम-बुद्ध्युत, उहसील-पाली, जिला-कोरबा स्थित गुल कंट्रफ्ल-279 हेक्टेयर में कोल माईन कामता-1.4 घिणियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.68 घिणियन टन प्रतिवर्ष (20% Expansion) हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति में अधिशोधित रूप स्थावरत् रहेंगी। इसके अतिरिक्त निम्न छाती के अधीन पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall made CER fund as CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
14,326	1.5%	214.89	Following activities at near by villages.	
			Rain water harvesting	139.06
			Plantation & beautification around pond at village budbud	34.48
			Plantation & beautification around pond at village Talapara	40.93
			Plantation at near by villages of the Mine	97.26
Total				311.61

- ii. The project proponent has been suggested to establish Eco park in place of rain water harvesting in suitable areas. The area for Eco park can be obtained from district collector korba.
 - iii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools.
 - iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this

regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

- v. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools/ concerned authority.
 - vi. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.
 - vii. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA).
 - viii. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.
 - ix. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission, and SO₂ and NO_x in reference to SO₂ and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.
 - x. Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur inspected and suggested data submitted in six-monthly monitoring report.
 - xi. Construction of the retaining structures at the toe of the OB dumps shall be complete within 3 months and submitted in six-monthly monitoring report.
 - xii. Project Proponent shall deposit the funds in state in CAMPA earmarked for Conservation plan for endangered species- Sloth Bear and Monitor Lizard found and for medicinal plants found in and around the project area and prior approval from PCCF wildlife within 3 months and submitted in six-monthly monitoring report.
 - xiii. Project Proponent shall submit the status of the construction of ETP and STP on quarterly basis.
 - xiv. Project Proponent shall submit the status of R &R status within 3 months and submitted in six-monthly monitoring report.
 - xv. Project Proponent shall install the ambient air quality stations and submitted in six-monthly monitoring report.
 - xvi. Project authorities shall provide Occupational health surveillance records and submitted in six-monthly monitoring report.
 - xvii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).
2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दीर्घन याही नई वाचित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सरल क्रमांक 13) को एस.ई.आई.ए.ए.

छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन प्रथम चरण में कोल माईन कम्पनी 1.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष का 20 प्रतिशत बृद्धि करने हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति की सशर्त अनुशासा की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार दिनहीं उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. नस्ती की अनुशासा को स्थीकर करते हुये आवेदक - मेसर्स सारायपाली ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट (साराय इस्टर्न कोल फिल्हाल लिमिटेड) को कम्पनी विस्तार के लहर छाग-बुड्डु, तहसील-पाली, जिला-कोरबा को निम्न अंतिरिक्ष शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्थीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-
 - I. Environmental Clearance shall be effective from date of submission of all requisite documents as prescribed by SEAC, CG at serial no. 2 of page no. 86.
 - II. All conditions prescribed by SEAC, CG shall be complied with by the Project Proponent.

नस्ती द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की विधति में लिखित बार्याबाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्थीकृति जारी किया जाए।

बैठक सम्पाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(आरपी. लियारी)

राज्य सारीय पर्यावरण प्रभाव आकलन

प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवशीष दास)

अध्यक्ष,

राज्य सारीय पर्यावरण प्रभाव आकलन

प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(श्री. दीपक सिंह)

सदस्य

राज्य सारीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़